सत्यमेव जयते
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI - 110011

भारतीय युवाः परिस्थिति एवं आवश्यकताएं 2006–2007

कार्यकारी सारांश

बिहार

International Institute for Population Sciences

Population Council

This executive summary presents, in brief, findings on the situation of youth in Bihar, part of a sub-national study undertaken by the International Institute for Population Sciences, Mumbai and the Population Council, New Delhi, as part of a project to collect information on key transitions experienced by youth in India, including those related to education, work force participation, sexual activity, marriage, health and civic participation; the magnitude and patterns of young people's sexual and reproductive practices before, within and outside of marriage as well as related knowledge, decision-making and attitudes. The project was implemented in six states of India, namely, Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu.

For detailed reports please contact:

International Institute for Population Sciences
Govandi Station Road, Deonar
Mumbai 400088
India
Phone: 022-42372400/42372518
email: iipsyouth@rediffmail.com
Website: http://www.iipsindia.org

Population Council
Zone 5-A, Ground Floor
India Habitat Centre
Lodi Road
New Delhi 110003
Phone: 011-2464 2901/02
email: info-india@popcouncil.org
Website: http://www.popcouncil.org/asia/india.html

The International Institute for Population Sciences (IIPS) is a deemed university under administrative control of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The Institute engages in teaching and research in population sciences, and has been actively involved in building the capacity of Population Research Centres, and other state and central government offices that address population issues in the country and in the Asia-Pacific region. It has a proven record in conducting national- and sub-national-level studies in reproductive health, including the National Family Health Surveys and District Level Household and Facility Survey under the Reproductive and Child Health programme.

The Population Council is an international, non-profit, non-governmental organisation that seeks to improve the well-being and reproductive health of current and future generations around the world and to help achieve a humane, equitable and sustainable balance between people and resources. The Council conducts biomedical, social science and public health research, and helps build research capacities in developing countries.

Copyright © 2009 International Institute for Population Sciences, Mumbai and Population Council, New Delhi

Suggested citation: International Institute for Population Sciences (IIPS) and Population Council. 2009. *Youth in India: Situation and Needs 2006–2007, Executive Summary, Bihar.* Mumbai: IIPS.

भारतीय युवाः परिस्थिति एवं आवश्यकताओं का अध्ययन (युवा अध्ययन नाम से उल्लेखनीय) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई एंव पॉपुलेशन काउन्सिल, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित प्रथम अन्तर्राज्यीय अध्ययन है, जो कि भारत में विवाहित एवं अविवाहित युवाओं के प्रमुख अवस्था परिवर्तन अनुभवों को जानने के लिए किया गया है। सन् 2001 में भारत में युवा लोगों (10–24 उम्र समूह) की आबादी लगभग 315 मिलियन थी जो भारतीय जनसंख्या का 31% है। यह उम्र समूह न केवल सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि इसके अनुभव जनसंख्या स्थिरता के भारत के लक्ष्य की प्राप्ति को भी व्यापक रूप से प्रभावित करेंगे और इसी आधार पर भारत अपने जनसांख्यिक लाभों का उपयोग उठा सकेगा। यद्यपि आज का युवा वर्ग पिछली पीढ़ी की तुलना में ज्यादा स्वस्थ, शहरी और पढ़ा–लिखा है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक असुरक्षाएं अभी भी बरकरार हैं। बालिग होने के क्रम में युवा वर्ग यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बंधी कई जोखिमों का सामना करते हैं और अनेक युवाओं के पास पूर्व सूचित यौन एवं प्रजनन व्यवहारों का चयन करने का ज्ञान एवं क्षमता का आभाव होता है।

युवाओं में निवेश के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सन् 2000 से अनेक राष्ट्रीय नीतियां तथा कार्यक्रम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय युवा नीति 2003, दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय किशोरावस्था प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य कार्यनीति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में भारत में इस वर्ग की विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। किन्तु युवाओं की परिस्थिति और आवश्यकता सम्बंधी जानकारियों के अभाव के कारण नीतियों तथा कार्यक्रमों, दोनों का प्रभावकारी कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। मौजूदा उपलब्ध तथ्य सीमित है और वे मुख्यतः लघुस्तरीय एवं अप्रतिनिधिक अध्ययनों से लिए गए हैं।

इस युवा विषयक अध्ययन को विवाहित तथा अविवाहित 15–24 उम्र समूह की युवतियों तथा अविवाहित युवकों पर केन्द्रित किया गया था, परंतु इस उम्र समूह में विवाहित युवकों की संख्या की कमी को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में 15–29 उम्र समूह के विवाहित युवकों को भी शामिल किया गया। इस अध्ययन में शिक्षा, कार्य में भागीदारी, यौन गतिविधि, विवाह, स्वास्थ्य एवं नागरिक–भागीदारी, युवाओं के वैवाहिक तथा विवाह के बाहर यौन एवं प्रजननीय व्यवहारों के विस्तार प्रतिमान, साथ ही इससे सम्बंधित जानकारी, निर्णय–प्रक्रिया एवं दृष्टिकोण जैसे मुख्य परिवर्तनकालीन अनुभवों को एकत्र किया गया है।

युवा विषयक अध्ययन के तीन चरण थे–इसमें मुख्य सर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण के पूर्व तथा पश्चात् गुणात्मक आंकड़ा संग्रहण–दोनों तरह के कार्य संपादित किए गए। चरणबद्ध तरीके से इस अध्ययन को भारत के छः राज्यों–आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में संचालित किया गया।

प्रस्तुत विवरण बिहार में किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित है। सर्वेक्षण जनवरी से अगस्त 2007 के मध्य सम्पन्न कराया गया। सर्वेक्षण के दौरान 9,684 युवा लोगों से संपर्क साधा गया जिनमें 8,136 विवाहित एवं अविवाहित युवकों एवं युवतियों से सफलतापूर्वक साक्षात्कार किया गया।

पारिवारिक जनसंख्या की विशेषताएं

साक्षात्कार के लिए कुल 30,888 परिवारों का चयन किया गया। इनमें 28,205 परिवारों में सफलतापूर्वक साक्षात्कार किए गए और इन परिवारों में सामान्यतया रहने वाले 1,56,197 व्यक्तियों की गणना की गई। इस आबादी में उम्र वर्ग का वितरण, अत्यंत जनन क्षमता वाली आबादी का सटीक उदाहरण था साथ ही अन्य उम्र वर्गों की तुलना में युवा उम्र वर्गों की आबादी का अनुपात बहुत अधिक था। 2001 की जनगणना और युवा विषयक अध्ययन दोनों में 0–4 उम्र समूह की आबादी के अनुपात में बिल्कुल समानता थी जो इस बात का संकेत था कि जनन क्षमता के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है। जहां तक युवा आबादी का प्रश्न है, सर्वेक्षण के समय

13% आबादी 10–14 उम्र वर्ग, 9% 15–19 उम्र वर्ग तथा 7% आबादी 20–24 उम्र वर्ग की थी। कुल आबादी का 16.5% 15–24 उम्र वर्ग का था।

समग्र तौर पर राज्य की स्थानिक (*de jure*) आबादी का लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुष पर 1,043 महिलाएं था, जो कि 2001 की जनगणना के आंकड़ें (919) से बहुत ज्यादा है। रोजगार के अवसरों की तलाश में राज्य के एकल युवा पुरुषों के राज्य से पलयान करने को इसका कारण माना जा सकता है। 0–6 उम्र समूह में लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुष पर 935 महिलाएं थी जो कि 2001 की जनगणना (942) के आसपास है।

परिवारों के शैक्षणिक विवरण से राज्य में शिक्षा की निम्न स्थिति उजागर होती हैः 6 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र की आबादी में आधे से ज्यादा (52%) के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 40% पुरुषों के मुकाबले 65% से अधिक महिलाओं तथा शहरी आबादी के 30% के मुकाबले 55% ग्रामीण आबादी कभी विद्यालय नहीं गई। सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुल आबादी के महज 6% ने 12वीं या उससे अधिक की शिक्षा प्राप्त की, इससे यह पुनः पुष्टि होती है कि राज्य में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है।

सर्वेक्षित आबादी के घरों के आकार–प्रकार से यह तथ्य उद्‌घाटित होता है कि राज्य की बहुसंख्यक आबादी के जीवनयापन की हालत अत्यन्त दयनीय है। कुल परिवारों के 53% कच्चा घरों (मिट्टी, फूस या अन्य निम्न गुणवतावाली सामग्रियों से निर्मित), 25% अर्द्ध पक्का घरों (निम्न तथा उच्च गुणवतावाली सामग्रियों से निर्मित) तथा 22% पक्का घरों में (पूरी तरह सीमेंट, ईंट आदि से निर्मित) रहते थे। सिर्फ 14% परिवारों के पास बिजली की सुविधा थी, शहरों में 71% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 9% परिवारों के पास यह सुविधा उपलब्ध थी। बहुसंख्यक परिवारों (93%) ने बताया कि वे या तो नल से या चापा कल से या फिर ढके हुए कुंए से पीने का पानी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक छह में से केवल एक घर में किसी भी प्रकार की शौच–सुविधा थी।

धन संपत्ति के संयुक्त सूचकांक के आधार पर शहरी तथा ग्रामीण परिवारों में बड़े विभाजन को देखा जा सकता हैः दो तिहाई शहरी परिवार सबसे धनी (पांचवी) श्रेणी में थे; इसके विपरीत सिर्फ छह में से एक ग्रामीण परिवार इस श्रेणी का था। इसी प्रकार मात्र 3% शहरी परिवारों के मुकाबले पांच में एक ग्रामीण परिवार सबसे गरीब श्रेणी में था।

युवा वर्ग की स्थिति

जैसा कि पहले उल्लेखित किया जा चुका है, कुल 8,136 युवक–युवतियों से साक्षात्कार लिए गए। आयु वर्गीकरण के आंकड़ों से पता चलता है कि युवक–युवतियों का बड़ा अनुपात 20–24 उम्र समूह की तुलना में 15–19 उम्र समूह का है (38–40% के मुकाबले 60–62%)। इसके अतिरिक्त, जाहिर तौर पर विवाहितों की तुलना में अविवाहित समूह ज्यादा युवा हैं। धार्मिक आधार पर विभाजन के अनुसार 86% युवक–युवती हिन्दु थे और 14% मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे। जातिगत वितरण के मुताबिक 14–20% युवा वर्ग सामान्य जाति के, 20–21% अनुसूचित जाति के और 58–64% अन्य पिछड़ी जातियों के थे। पांच युवक–युवतियों में से चार ने बताया कि उनके माता–पिता जीवित हैं। जिनके माता–पिता में से कोई एक जीवित थे, उनमें पिता (5–6%) के मुकाबले माता की संख्या (9–10%) ज्यादा थी। केवल 1–2% ने बताया कि उनके माता–पिता में से कोई जीवित नहीं हैं।

शिक्षा

यद्यपि बिहार में व्यापक आबादी की तुलना में युवा वर्ग ज्यादा शिक्षित थे, फिर भी उन सभी युवाओं को स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं थी। छह में से एक युवक और आधी युवतियां कभी भी स्कूल नहीं गए। सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियां तथा विवाहित युवतियां खासतौर से शिक्षा से वंचित थीं; ग्रामीण युवतियों की आधी संख्या और दो–तिहाई विवाहित युवतियां कभी भी स्कूल नहीं गई। युवक और युवतियों के कभी स्कूल न जाने के मुख्य कारण आर्थिक थे (घर/खेत/व्यापार में काम के लिए बच्चे की जरूरत अथवा

घर के बाहर मजदूरी या परिवार द्वारा स्कूल के खर्च का वहन करने में असमर्थता) तथा दृष्टिकोण एवं धारणाएं (जैसे शिक्षा जरूरी नहीं है या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है), घरेलू कार्य (छोटे बच्चों की देखभाल या घर का कामकाज) युवतियों के स्कूल ना जाने का अलग से एक बड़ा कारण है।

युवाओं में न केवल स्कूल में नामांकन सीमित था, अपितु स्कूली शिक्षा पूरी करनेवालों का प्रतिशत भी काफी कम था। प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि जिन युवाओं ने प्रथम कक्षा पूरी की, तीसरी कक्षा तक जाते–जाते उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी; सिर्फ 95% युवक और 93% युवतियां ही प्रथम कक्षा पास करने के बाद तीसरी कक्षा पूरी कर पाए। कक्षा का स्तर बढ़ने के साथ कक्षा पूरी न करने वालों का प्रतिशत उत्तरोतर बढ़ता गया और युवक और युवतियों के बीच अंतराल और अधिक हो गया। उदाहरण के लिए, सबसे अधिक गिरावट कक्षा 5–6 के बीच देखी गई। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि अनेक युवाओं ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। वास्तव में राज्य में केवल 30% युवकों और 13% युवतियों ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की।

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि साक्षात्कार के समय आधे से भी अधिक अविवाहित युवक और आधे से थोड़ी कम अविवाहित युवतियां (और कुछ एक विवाहित भी) अभी भी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे।

चाहे स्कूली शिक्षा का कोई भी स्तर हो, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने के मुख्य कारण थे–आर्थिक मुद्दे तथा शिक्षा के महत्व या प्रासंगिकता के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण

Cumulative percentage of youth who had completed each year of education (Classes 1 to 17), Bihar (combined), 2007

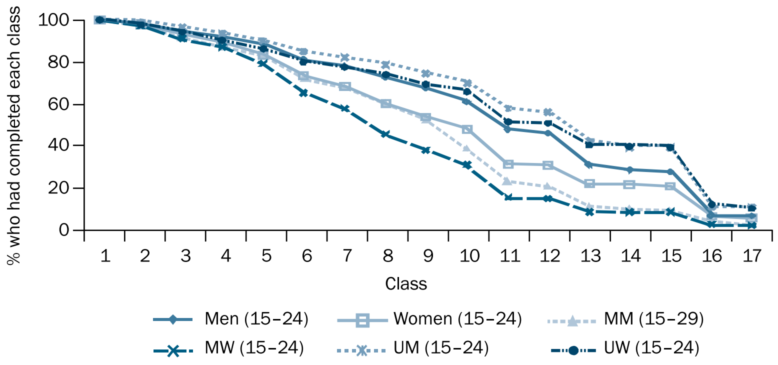

MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

Cumulative percentage of youth who had completed each year of education (Classes 1 to 17), Bihar (urban), 2007

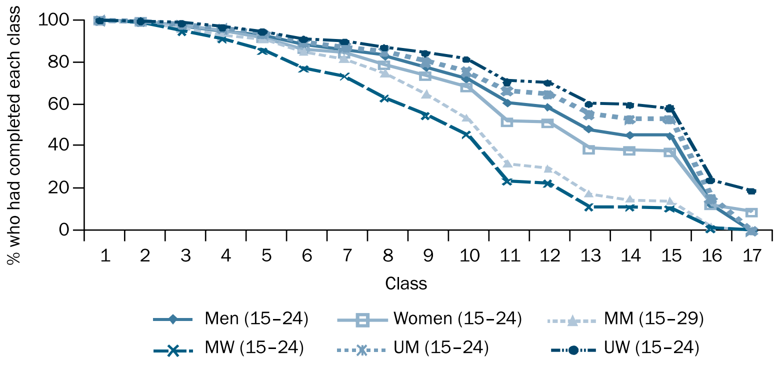

MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

Cumulative percentage of youth who had completed each year of education (Classes 1 to 17), Bihar (rural), 2007

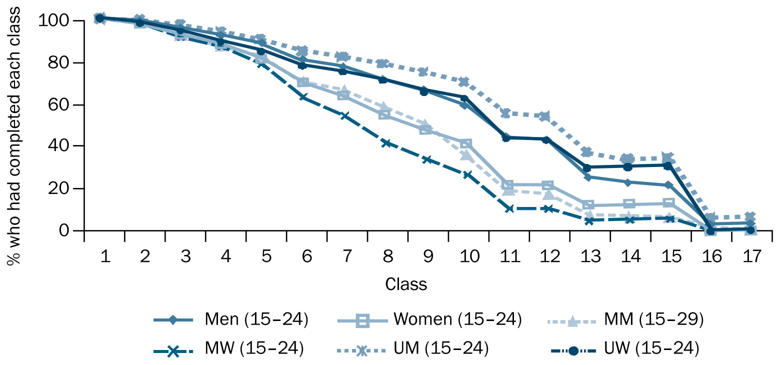

MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

एवं धारणाएं। युवतियों में तमाम स्तरों पर पढ़ाई छोड़ देने के महत्वपूर्ण कारणों में स्कूल सम्बंधी कारण (अकादमिक विफलता, स्कूल की दूरी, स्कूल की खराब गुणवत्ता एवं अधिसंरचना) तथा घरेलू जिम्मेवारियां प्रमुख कारण थे। बालिग की भूमिका में उनकी बढ़ती जिम्मेवारियां पढ़ाई छोड़ने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण रहा है और इस कारण की महत्वता पढ़ाई छोड़ने के स्तर के साथ–साथ बढ़ती गई। यह ध्यान देने के योग्य है कि प्राथमिक स्कूल छोड़ने वाली चार में से एक युवती और उच्च स्कूल छोड़ने वाली पांच में से दो युवतियों ने विवाह करने को पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण बताया।

युवाओं के नामांकन, उपस्थिति, पढ़ाई छोड़ देने के कारणों तथा स्कूलों के प्रकार में लिंग विभेद देखे गए। जबकि युवकों ने आम तौर पर तमाम स्तर की शिक्षा के लिए सह शिक्षा सुविधा वाले संस्थानों में पढ़ाई की, वही उच्च स्तर शिक्षा के लिए सह शिक्षा सुविधा वाले संस्थानों में युवतियों की भागीदारी बहुत कम देखी गई। इसी तरह, स्कूली शिक्षा पर अतिरिक्त निवेश, खासकर निजी ट्यूशन के मामले में भी लिंगभेद बरता गया। उदाहरण के लिए साक्षात्कार के समय स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे लोगों में युवतियों के मुकाबले ज्यादातर युवकों ने विशेषकर बताया कि उन्होंने निजी ट्यूशन लिया था।

सभी स्तरों पर अधिकांश युवाओं ने सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की। इसके अतिरिक्त, युवा जहां पढ़ाई कर रहे थे, स्कूलों के प्रकार–सरकारी या निजी स्कूल के स्तर पर कोई स्पष्ट लिंग भेद नहीं देखा गया।

प्राप्त आंकड़े यह भी बताते हैं कि अभी भी स्कूल में पढ़ रहे और पढ़ाई छोड़ देने वाले युवाओं के अपने–अपने स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं में बड़ा अन्तर था। उदाहरण के लिए पढ़ाई कर रहे अधिकाधिक युवाओं ने अपने स्कूलों में पानी, शौचालय, खेल के मैदान और पुस्तकालय की उपलब्धता के बारे में बताया, वहीं पढ़ाई छोड़ देने वाले बहुत कम युवाओं ने अपने स्कूल में इन सुविधाओं के बारे में बताया। पढ़ाई छोड़ देने वालों तथा साक्षात्कार के वक्त पढ़ाई कर रहे लोगों के स्कूलों के बारे में अनुभवों में काफी भिन्नताएं देखी गईं। यद्यपि नियमित उपस्थिति को लेकर कोई फर्क नहीं था लेकिन, वह युवक जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी उन युवकों की अपेक्षा जिन्होंने पढ़ाई जारी रखी उन्होंने प्राईवेट ट्यूशन, पढ़ाई को बोझ नहीं समझने तथा पिछली परीक्षा पास करने जैसे सकारात्मक उत्तर ज्यादा दिए।

Percentage of youth who had discontinued schooling by class when discontinued and reasons for discontinuation, Bihar, 2007

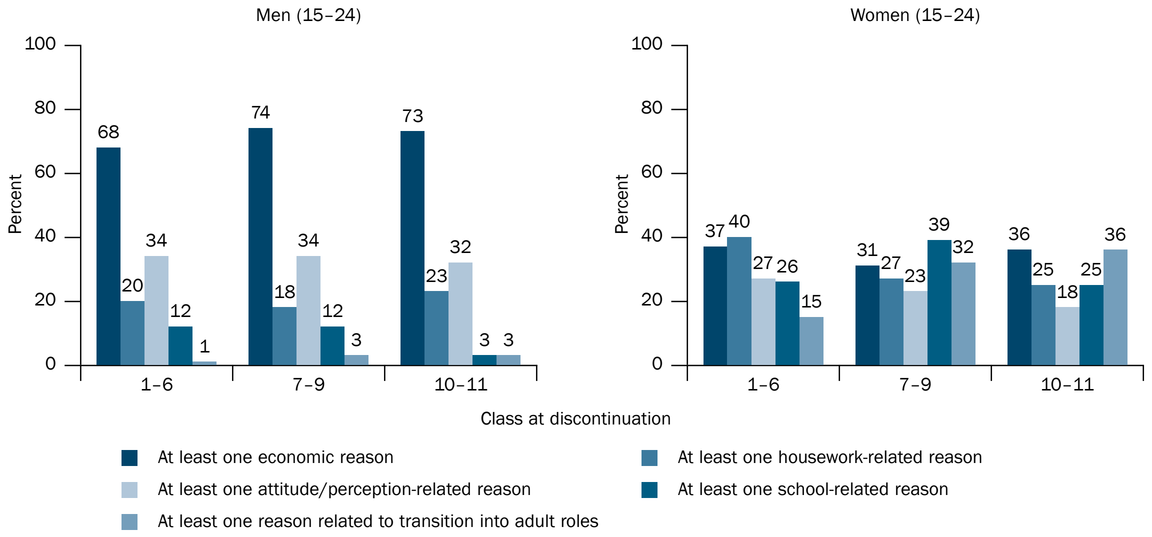

कार्य

कार्य सम्बंधी विवरण से पता चलता है कि तीन–तिहाई युवक तथा आधी युवतियों ने भुगतान के लिए अथवा बिना भुगतान के कभी कोई कार्य किये थे। कहा जाए तो सभी विवाहित युवक तथा दो तिहाई अविवाहित युवकों ने ऐसे कार्य किये थे, वहीं आधी

विवाहित और पांच में से दो अविवाहित युवतियों ने ऐसे कार्य किए थे। उसी तरह शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में युवक एवं युवतियों ने कभी भी कार्य किया है। जहां अधिकतर युवा भुगतान वाले कार्यों में संलग्न थे, वहीं 38% युवक और 25% युवतियां अपने पारिवारिक खेत या व्यपार में बिना भुगतान के नियोजित थे। आर्थिक गतिविधि प्रायः बाल्यावस्था में ही शुरू कर दी गईः तीन युवक एवं युवतियों में से एक से अधिक ने बताया कि उन्होंने बाल्यावस्था (15 वर्ष की उम्र से पहले) में ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। साक्षात्कार से पूर्व 12 माह के कार्य में भागीदारी संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकांक्ष युवकों (64% अविवाहित और 97% विवाहित) तथा खासा अनुपात में युवतियों (36% अविवाहित और 38% विवाहित) ने साक्षात्कार से पूर्व 12 माह की किसी अवधि में कोई–न–कोई भुगतान या बिना भुगतान के कार्य किये थे। अधिकांश युवकों (64%) ने साक्षात्कार से पूर्व के वर्ष में कार्य किया और साक्षात्कार के वर्ष में भी (कम से कम छः माह तक) कार्य किया। इसके विपरीत, पांच में से दो युवतियों ने ऐसा किया।

Percentage of youth who engaged in paid or unpaid work in last 12 months, Bihar, 2007

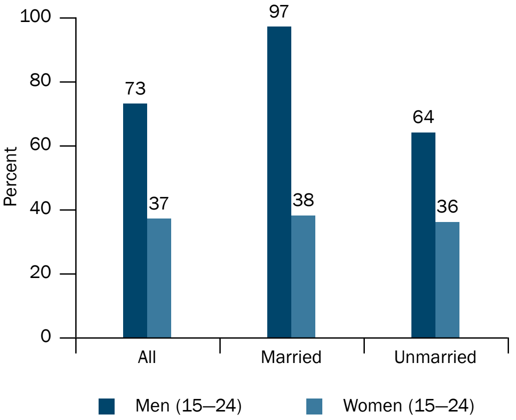

प्राप्त आंकड़े युवकों (22%) एवं युवतियों (36%) के बीच व्याप्त बेरोजगारी को भी दर्शाते हैं, विवाहित युवकों की तुलना में अविवाहित युवकों में बेरोजगारी ज्यादा दिखती है; वहीं विवाहित एवं अविवाहित युवतियों में यह तकरीबन समान रूप से व्याप्त है। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि शहरी इलाकों में युवतियों खासतौर से विवाहित युवतियों के बीच बेरोजगारी ज्यादा है। शिक्षित तथा आर्थिक रूप से संपन्न युवक एवं युवतीयों में भी बेरोजगारी असाधारण तौर पर अधिक है।

युवा स्पष्ट तौर पर ऐसे कौशल अर्जित करने के प्रति इच्छुक थे जिनसे रोजगार मिले; तीन युवकों में दो और पांच युवतियों में चार ने व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण में अपनी रूचि दर्शायी। यद्यपि विवाहित युवाओं के मुकाबले अधिक संख्या में अविवाहित युवाओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। यहां यह उल्लेख करना अति आवश्यक होगा कि आधे से ज्यादा विवाहित युवकों और तीन चौथाई विवाहित युवतियां व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। जबकि वास्तविकता यही है कि काफी कम लोगों ने, सिर्फ 14% युवकों और 9% युवतियों ने भी कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रखा था।

Percentage of youth who ever attended a vocational training programme and percentage who were interested in participating in such programmes, Bihar, 2007

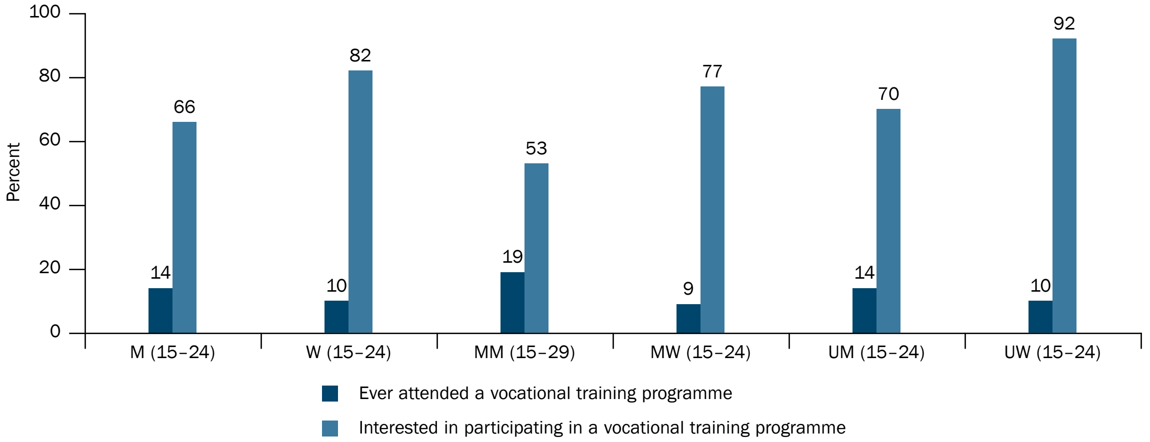

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

प्रसार माध्यमों से संपर्क

युवाओं का एक बड़ा भाग प्रसार माध्यमों से परिचित था–विशेषतः समाचारपत्र, पत्रिकाएं तथा पुस्तकों से (89% युवकों तथा 81% युवतियां जो पांच या उससे अधिक वर्षों तक शिक्षा प्राप्त कर चुके है), फिल्मों से (89% युवकों का तथा 59% युवतियों का), टेलीविजन से (78% युवकों का तथा 48% युवतियों का) अवगत था तथा बहुत कम लोग इंटरनेट से अवगत थे (पांच या उससे अधिक वर्षों तक शिक्षा प्राप्त कर चुके 6% युवकों और 3% युवतियां ही इंटरनेट से अवगत थे)।

अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह बताते हैं कि चार युवकों में एक ने तथा 4% युवतियों ने अश्लील फिल्में भी देखी थीं, उनमें पांच में से दो ने बताया कि ऐसी फिल्में वे कभी–कभी या अक्सर देखते हैं। पांच में से एक युवक और 6% युवतियों की अश्लील पुस्तकों तथा पत्रिकाओं तक पहुंच थी, इनमें एक तिहाई युवकों तथा आधी संख्या में युवतियों ने बताया कि वे इन सामग्रियों को कभी–कभी या प्रायः प्राप्त करते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करनेवाले तीन युवकों में से एक और दस युवतियों में एक ने बताया कि वे इंटरनेट पर अश्लील चीजे देखते हैं और अंत में, 50–60% युवक एवं युवतियों ने स्वीकार किया कि युवाओं के व्यावहार पर प्रसार माध्यम का प्रभाव पड़ा है।

समाजीकरण अनुभव एवं माता-पिता से संपर्क

सर्वेक्षण युवाओं के समाजीकरण के लैंगिक स्वरूप को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, युवक और युवतियों, दोनों के प्रतिउत्तरों से पता चलता है कि अधिकांश सर्वेक्षित परिवारों में घूमने–फिरने के मामले में असमान लैंगिक मानक मौजूद थे–पांच में से तीन युवकों ने स्वीकार किया कि उन्हें अपनी बहनों या चचेरी बहनों की तुलना में घूमने–फिरने की ज्यादा आजादी थी, वहीं लगभग पांच में से चार युवतियों का मानना था कि उन्हें अपने भाई या चचेरे भाईयों की तुलना में घूमने–फिरने की कम आजादी थी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि अधिकांश युवकों द्वारा घरेलू कार्य से सम्बंधित प्रश्नों के प्रतिउत्तर से लैंगिक समानता का बोध होता है लेकिन यहां उल्लेख करना आवश्यक होगा कि तीन चौथाई युवतियों ने बताया कि घरेलू कार्य के मामले में उनके भाई या चचेरे भाईयों के मुकाबले उनसे ज्यादा कार्य की अपेक्षा की जाती थी। इसी प्रकार, माता–पिता सामाजिक अंतरसम्बंध के मामले में, विशेषतौर से विपरीत लिंग के लोगों से मेल–मिलाप के विषय में युवक और युवतियों दोनों पर नियंत्रण करते देखे गए। फिर भी युवकों की तुलना में युवतियों पर ज्यादा रोकटोक लगाई गई। उदाहरण के लिए 78–81% युवकों और 97% युवतियों ने बताया कि किसी विपरीत लिंग मित्र को घर पर बुलाने पर माता–पिता विरोध व्यक्त करेंगे।

Percentage of youth reporting gendered socialisation experiences relative to an opposite-sex sibling/cousin, Bihar, 2007

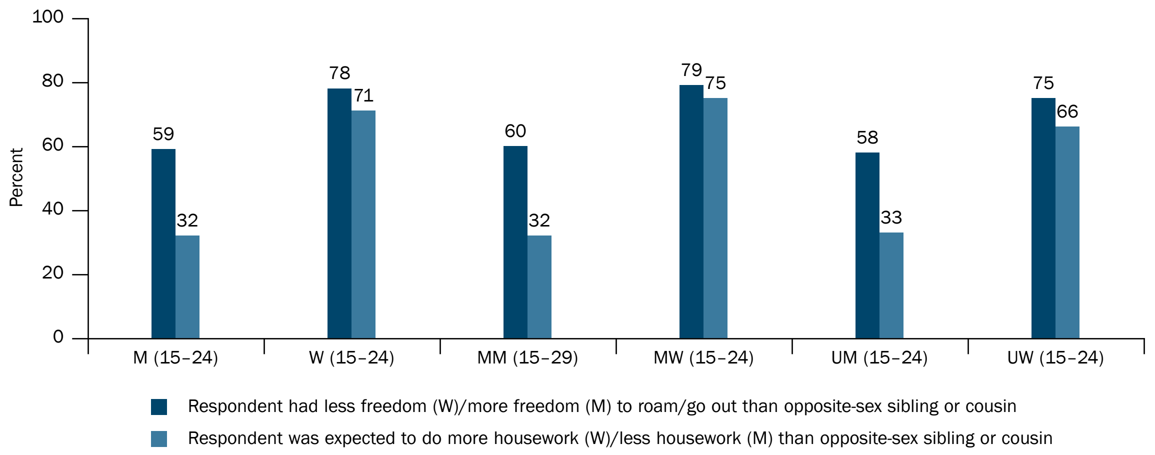

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

Note: For married respondents, questions referred to the period prior to marriage.

ध्यान देने योग्य है कि युवतियों पर ज्यादा रोकटोक लगाई गई लेकिन, माता–पिता युवकों के समान लिंग के साथ सामाजिक अंतरसम्बंध पर भी अच्छी–खासी रोकटोक लगाते देखे गए।

स्कूल में प्रदर्शन, दोस्ती, छेड़छाड़ या धमकी, शारीरिक परिपक्वता, प्रेम सम्बंध तथा प्रजननीय प्रक्रिया जैसे युवाओं के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर माता–पिता के साथ संवाद के मामले में अध्ययन के निष्कर्ष दूसरे अध्ययनों की ही पुष्टि करते हैं कि ऐसे संवाद बहुत ही कम होते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी युवाओं से प्रेम सम्बंध, प्रजनन व गर्भनिरोध तथा खास तौर पर युवकों से किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी शायद ही माता या पिता के साथ कोई चर्चा हुई थी।

रोजगार से लेकर स्त्री–पुरुष के संबंधों तक विषयों की एक श्रृंखला पर सबसे उपयुक्त विश्वासपात्र व्यक्ति से जुड़े प्रश्नों की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट होता है कि माता–पिता एवं बच्चों के बीच संपर्क सीमित था। एक ओर जहां माता–पिता को नौकरी आदि जैसे गैर संवेदनशील मुद्दों पर सबसे विश्वासपात्र माना गया वहीं ज्यादा संवेदनशील मामलों में शायद ही उन्हें विश्वास के योग्य माना गया। जहां युवतियों ने मासिक स्राव तथा छेड़खानी आदि जैसी समस्याओं के लिए मां को सबसे विश्वस्त माना वहीं युवकों ने शायद ही स्वप्न दोष आदि के मामले में माता–पिता को विश्वास के योग्य माना और न तो युवकों ने और न ही युवतियों ने लड़का–लड़की सम्बंध के मामले में माता पिता को विश्वास के योग्य बताया।

युवाओं ने अपने परिवारिक जीवन में हिंसा देखी है (उनके स्वयं के ऊपर हुई हिंसा तथा परिवार के सदस्यों के बीच हुई हिंसा)। पांच युवाओं में से एक ने बताया कि उनके पिता मां को पीटते हैं। अनेक उत्तरदाताओं का कहना था कि किशोरवस्था के दौरान उनके माता–पिता ने उनकी पिटाई की; आधे से भी अधिक युवकों एवं 11% युवतियों ने ऐसे अनुभवों के बारे में बताया।

समवयस्कों से मेलजोल एवं पारस्परिक व्यवहार

युवाओं का विकास उनके अपने करीबी साथियों के मेलजोल से प्रभावित था। प्रायः सभी युवाओं ने समान लिंग के मित्रों के होने की बात बताई। विपरीत लिंग के मित्रों का प्रचलन बहुत कम था, तो भी 16% युवकों और 5% युवतियों ने इसे स्वीकार किया। मित्रों के साथ अंतरसम्बंध बातचीत करने और साथ में खेलने तक सीमित थे, हालांकि युवकों ने साथ पढ़ाई करने और पिकनिक या फिल्म साथ जाने के भी उदाहरण दिए। सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य बताते हैं कि संवेदनशील मुद्दों पर युवा अपने समव्यस्कों से काफी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त करते हैं। युवक और युवती दोनों के लिए ही लड़का–लड़की सम्बंध के मामले में अपने दोस्त ही सबसे विश्वास के योग्य थे और स्वप्न दोष के मामले में युवकों ने अपने हम उम्र दोस्तों को ही विश्वास के योग्य बताया।

एजेन्सी (Agency) एवं लैंगिक भूमिकाओं के प्रति दृष्टिकोण

प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार युवतियों के पास बहुत सीमित साधन थे। उदाहरण के लिए सर्वेक्षण के दौरान पूछे गए तीन प्रश्नों जैसे अपनी पसंद से मित्र का चयन करना, पैसे खर्च करना तथा कपड़े खरीदने का निर्णय लेना। दिए गए उत्तरों में चार युवतियों में से सिर्फ एक ने बताया कि उन्हें उपरोक्त तीनों मुद्दों पर पूर्ण रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। इसी प्रकार यहां तक कि गांव के भीतर या आस पड़ोस में युवतियों को अकेले सब जगह आने–जाने की आजादी नहीं थी। केवल तीन में से दो युवतियों ने बाताया की उन्हें गांव के भीतर या आस पड़ोस में अकेले

Percentage of youth who independently made decisions on choice of friends, spending money and buying clothes for themselves, Bihar, 2007

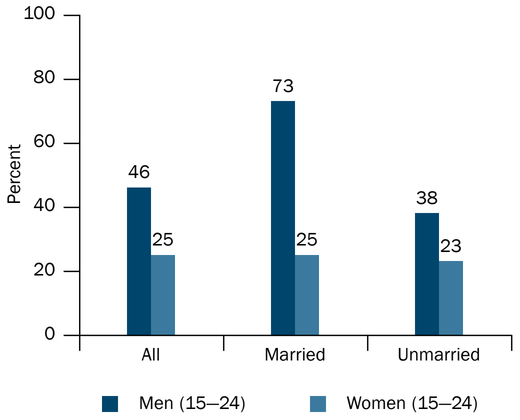

Percentage of youth allowed to visit selected places unescorted, Bihar, 2007

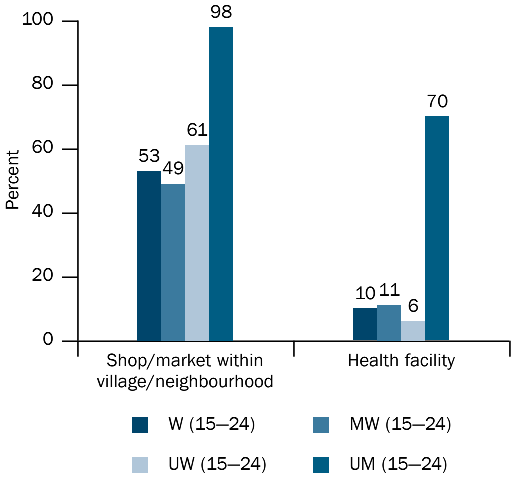

W=Women; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

Note: Questions regarding freedom of movement were not asked of married men, as their mobility is generally unrestricted.

आने–जाने की आजादी थी। इसके अतिरिक्त दस युवतियों में से सिर्फ एक ने बताया कि उन्हें अकेले गांव या आस–पड़ोस से बाहर किसी जगह तथा स्वास्थ्य संस्थान जाने की आजादी है। युवतियों में आर्थिक साधनों पर नियंत्रण सीमीत पाया गया पांच युवतियों में दो से अधिक ने बताया कि उनके पास बचत की राशि है और बीस में से सिर्फ एक के पास बैंक या डाकघर में खाता था। जिनके पास अपना निजी खाता था उनमें से केवल पांच में से दो युवतियों ने यह बताया की वह स्वयं उस खाते से लेन देन करती थीं।

ध्यान देने योग्य बात है कि युवाओं के बीच ऊपर तीनों चर्चित मुद्दों पर लिंग भेदभाव की दृष्टि से चौंकाने वाले अंतराल मौजूद थे। युवकों के मुकाबले युवतियों को निर्णय लेने और घूमने–फिरने की स्वतन्त्रता कम थी। इसी प्रकार, युवतियों के मुकाबले कम युवक बचत कर पाते होगे, (क्रमशः 44% और 20%), किन्तु जहां तक बैंक या डाकघर में खाता का सम्बंध है तो युवकों के मुकाबले युवतियों का प्रतिशत कम था (11% युवकों के मुकाबले 5% युवतियां) और सवतंत्र रूप से खाता संचालन की भी ऐसी ही स्थिति थी (युवक 77% और युवतियां 38%)।

यद्यपि युवक युवतियों की तुलना में अच्छी परिस्थितियों में थे, परिणाम बताते है कि युवक भी दैनिक जीवन में सभी प्रकार के माध्यमों का प्रयोग नहीं कर पाते थे। उदाहरण के लिए, केवल 46% युवकों ने सर्वेक्षण के अंतर्गत उठाए गए तीन मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के बारे में बताया। इसी प्रकार युवकों को स्वतंत्र रूप से घूमने–फिरने की सब जगह बराबर छूट नहीं थी। उदाहरण के लिए, सिर्फ 48–56% अविवाहित युवकों ने बताया कि बिना किसी को साथ लिए गांव या पास–पड़ोस से बाहर किसी मनोरंजन के स्थान पर जाने या कार्यक्रम में शामिल होने की स्वतन्त्रता थी और तीन में से दो युवकों को किसी स्वास्थ्य संस्था में अकेले आने–जाने की अनुमति थी।

Percentage of youth who reported having any savings, owning an account in a bank or post office and operating the account themselves, Bihar, 2007

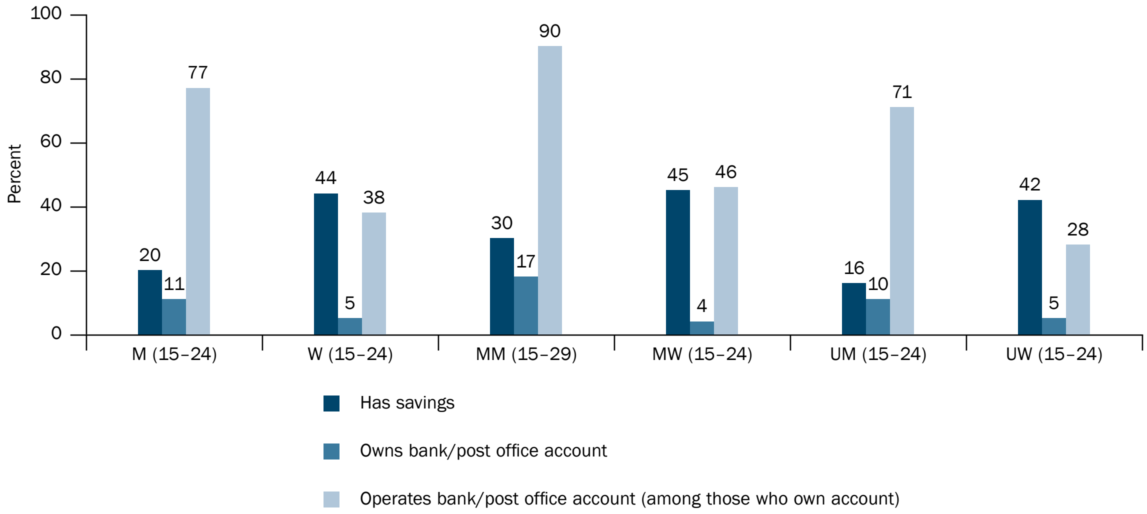

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

Percentage of youth who believed wife beating is justified in selected situations, Bihar, 2007

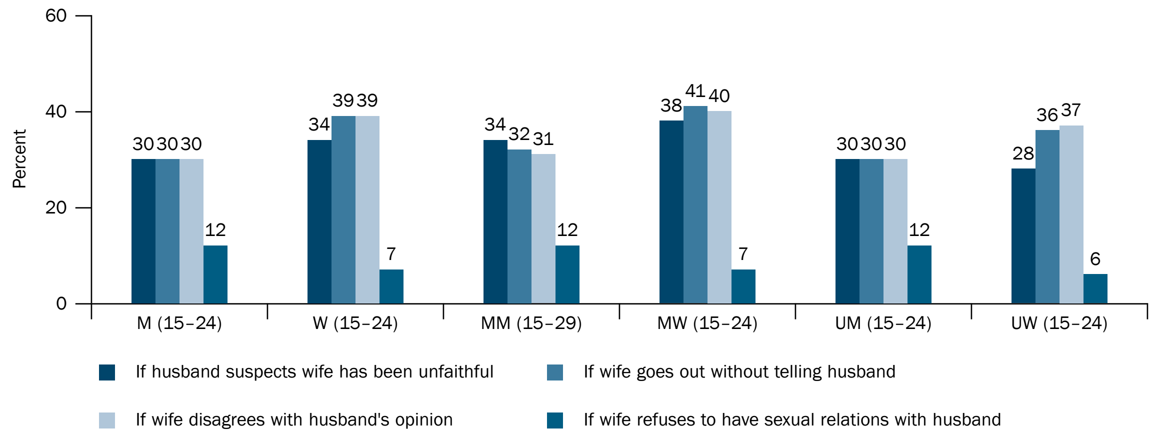

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

यद्यपि पांच में से दो युवकों और लगभग पांच में से तीन युवतियों ने कम से कम एक परिस्थिति में पत्नी की पिटाई को उचित ठहराया, परन्तु अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में युवाओं ने उठाए गए अन्य मुद्दों पर समतावादी लिंग भूमिका का समर्थन किया। यह ध्यान देने योग्य है कि इन विषयों पर युवा महिलाओं की अपेक्षा युवा पुरुषों में भूमिकाओं के प्रति असमतावादी दृष्टिकोण मिलने की संभावना सदैव ज्यादा पायी गयी।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य विषय संबंधित जानकारी

सर्वेक्षण से पता चलता है कि युवा वर्ग को ज्यादातर यौन एवं प्रजनन मामलों जैसे गर्भधारण, गर्भनिरोध, एचआइवी एवं सुरक्षित यौन व्यवहार आदि के बारे में बहुंत ही कम जानकारी थी। उदाहरण के लिए मात्र 27–33% युवाओं को ही जानकारी थी कि कोई स्त्री प्रथम यौन संबंध के दौरान ही गर्भवती हो सकती है। मात्र 87% युवक और 47% युवतियों ने ही एचआइवी/एड्स के बारे में सुन रखा था और उससे बहुत कम सिर्फ 11–12% युवाओं को ही एचआइवी/एड्स से अलग यौन संक्रमण रोगों (एसटीआई) के बारे में

Percentage of youth by awareness of HIV/AIDS, comprehensive knowledge about HIV/AIDS and awareness of STIs, Bihar, 2007

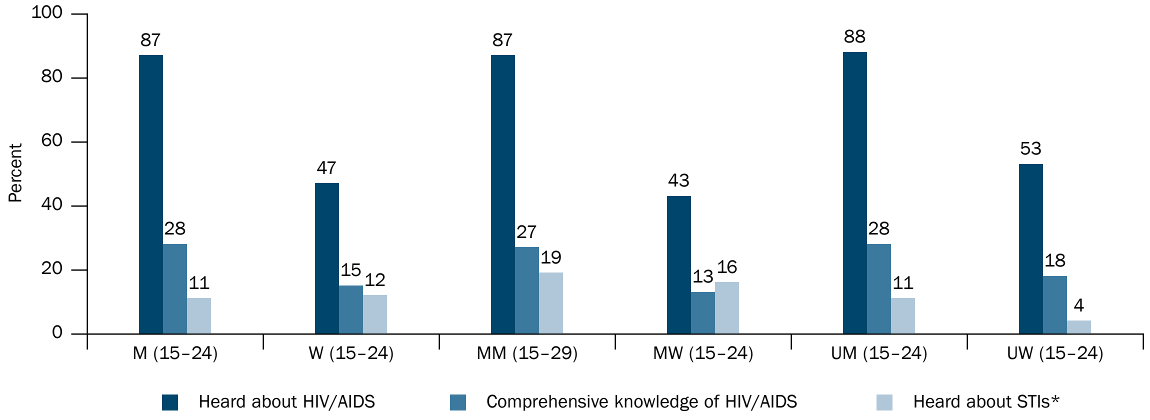

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

*Note: *Other than HIV.*

Percentage of youth who received family life or sex education, Bihar, 2007

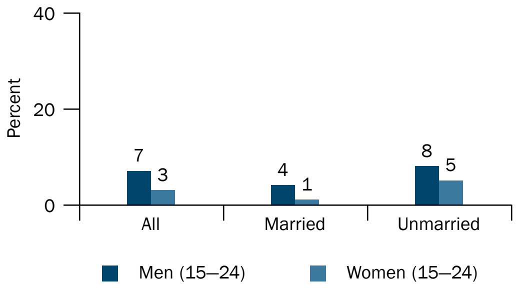

जानकारी थी। यहां तक कि जिन विषयों से सामान्यता युवा अवगत होते हैं, उस पर भी बहुत कम लोगों को जानकारी थी। उदाहरण के लिए सिर्फ 72% युवकों और 58% युवतियों को ही यह जानकारी थी कि लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। प्राप्त आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि उनमें आमतौर से यौन प्रजनन मामलों के बारे में भ्रांतियां व्याप्त थीं। उदाहरण के लिए 5 युवाओं में से दो का मानना था कि प्रथम संभोग के समय महिलाओं को रक्तस्राव ही होना जरूरी है। इसी प्रकार 5–9% युवाओं ने बताया कि कंडोम महिला के शरीर में गुम हो सकता है और 62–66% युवाओं ने इसपर अपनी अनभिज्ञता प्रकट की।

इसके अतिरिक्त अध्ययन दर्शाता है कि सामान्य विषयों पर भी युवाओं की अच्छी समझ नहीं है। उदाहरण के लिए, जहां 93–99% युवाओं ने किसी एक गर्भनिरोधक के बारे में बताया, वहीं युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय गर्भनिरोधक कंडोम और खाने की गोली के बारे में क्रमशः 62% व 26% युवकों और 30% व 48% युवतियों को ही पूरी–पूरी जानकारी थी। इसी प्रकार, 87% युवक तथा 47% युवतियों ने ही एचआइवी के बारे में सुना था, जबकि 28% युवकों और 15% युवतियों को ही एचआइवी और उसके संक्रमण मार्गों के बारे में पूरी जानकारी थी।

Percentage of youth reporting knowledge of selected sexual and reproductive health matters according to whether they had or had not received family life or sex education, Bihar, 2007

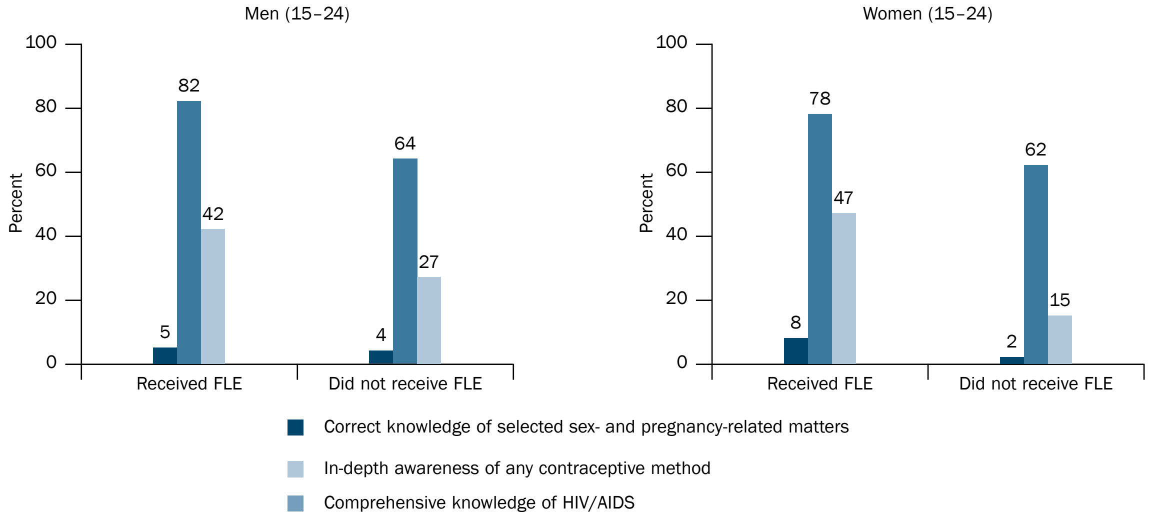

Note: FLE: Family life or sex education.

यह आश्चर्यजनक नहीं है कि युवाओं ने यौन मामलों तथा गर्भनिरोधक के बारे में सूचनाओं के लिए कुछ भरोसेमंद स्रोतों का जिक्र किया। दरअसल, 16% युवकों और 44% युवतियों ने बताया कि उन्हें यौन मामलों में कभी कोई जानकारी नहीं मिली (विवाहित युवाओं में विवाह पूर्व)। युवक और युवतियों के लिए दोनों ही मामलों में मित्र और प्रसार माध्यम प्रमुख स्रोत थे। यह आवश्यक नहीं है कि इनमें से कोई भी सूचना के विश्वस्त स्रोत हैं। युवतियों के लिए उपरोक्त स्रोतों के अतिरिक्त परिवार के सदस्य भी महत्वपूर्ण स्रोत थे; हालांकि युवकों ने शायद ही इन्हें स्रोत के रूप में बताया। 6% से भी कम अविवाहित और शायद ही किसी विवाहित युवा ने यौन मामलों या गर्भनिरोधक के सम्बंध में शिक्षक को सूचना स्रोत के रूप में उल्लेख किया। सिर्फ विवाहित युवकों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता गर्भनिरोधक हेतु महत्वपूर्ण सूचना स्रोत थे; स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से यह उम्मीद कम ही की जानी चाहिए कि उन्होंने अविवाहित

युवकों और यहां तक कि विवाहित युवतियों को सूचना दी होगी। संक्षेप में कहा जाए तो समव्यस्कों या प्रसार माध्यम की तुलना में ज्यादा विश्वस्त माने जाने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, शिक्षक और परिवार के सदस्यों को युवाओं को यौन मामलों तथा गर्भनिरोधक जैसे अति संवेदनशील मुद्दों पर सूचना देने के बहुत थोड़े ही उदाहरण देखे गए।

बहुत थोड़े युवाओं 7% युवक और 3% युवतियों ने ही स्कूल के अंतर्गत या फिर बाहर पारिवारिक जीवन शिक्षा या यौन शिक्षा प्राप्त की थी। अपितु, युवाओं ने युवा लोंगो के पारिवारिक जीवन यौन–शिक्षा प्राप्त करने का पुरजोर समर्थन किया। आमतौर पर युवाओं का ऐसा मानना था कि इस तरह की शिक्षा किसी व्यवसायिक व्यक्ति द्वारा (स्वास्थ्यकर्ता एवं शिक्षक) दी जाए तो अच्छा रहेगा। वहीं युवतियों ने बताया की यह शिक्षा अपने माता–पिता या भाई–बहनों से ही मिलनी चाहिए। प्राप्त साक्ष्यों के मुताबिक पारिवारिक जीवन शिक्षा या यौन शिक्षा प्राप्त युवा इस शिक्षा से वंचित युवाओं की तुलना में यौन एवं प्रजनन मामलों से कहीं अधिक अवगत थे।

विवाह-पूर्व प्रेम संबंध

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम प्रमाणित करते हैं कि विवाह–पूर्व स्त्री–पुरुष में मेलजोल पर सामाजिक प्रतिबंध होने के बावजूद विवाह पूर्व प्रेम संबंध बनने के अवसर विद्यमान थे। वास्तव में पांच में से एक युवक और प्रायः आठ में से एक युवती 12% ने प्रेम संबंधों के लिए प्रस्ताव (proposal) दिया या उन्हें प्रस्ताव मिला इसी तरह छह में से एक (17%) युवक एवं बीस में से एक युवती (5%) ने बताया कि उनके विवाहपूर्व प्रेम संबंध थे। विवाह–पूर्व प्रेम संबंधों के प्रारूप यह दर्शाते है कि यह साझेदारियां कम उम्र में आरंभ हुई, प्रायः यह अभिभावको से छिपी हुई थी परंतु साथियों से नहीं। दीर्घकालीन वचनबद्धता की अपेक्षाओं में यह ध्यान देने योग्य है कि युवकों की तुलना में युवतियों ने प्रेम संबंध के विवाह में बदल जाने के लिए ज्यादा आशान्वित थी। इसके अतिरिक्त विवाहितों के अनुभव दर्शाते हैं कि अभिप्राय एवं वास्तविकता में बहुत अंतर था। 47% विवाहित युवक एवं 84% विवाहित युवतियां जो विवाह पूर्व साथी से विवाह के बारे में सोच रहे थे, केवल 4% युवक एवं 38% युवतियों ने उनके साथ विवाह किया।

विवाह पूर्व होने वाले प्रेम संबंधों में साथी के साथ शारीरिक आत्मीयता एवं यौन अनुभव में स्पष्ट प्रगति देखी गयी जबकि 87% युवकों ने साथी का हाथ पकड़ा, लगभग पांच में से दो ने अपने साथी के साथ यौन संबंध बनाये, युवतियों ने जहां 70% साथियों का हाथ पकड़ा, लगभग तीन में से एक ने अपने साथी के साथ यौन संबंध बनाये। युवकों में सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में साथी से संपर्क एवं उनके बीच बातचीत कभी–कभार थी और होने वाले अधिकांश यौन संबंध असुरक्षित थे। लगभग पांच में से एक युवा महिला जिनके विवाह पूर्व यौन संबंध थे, ने बताया कि उनके प्रेम साथी ने उनके साथ पहली बार यौन संबंध उनकी सहमति के बिना किया।

Percentage of youth who had made or received a "proposal" for romantic partnership formation and percentage who had an opposite-sex romantic partner, Bihar, 2007

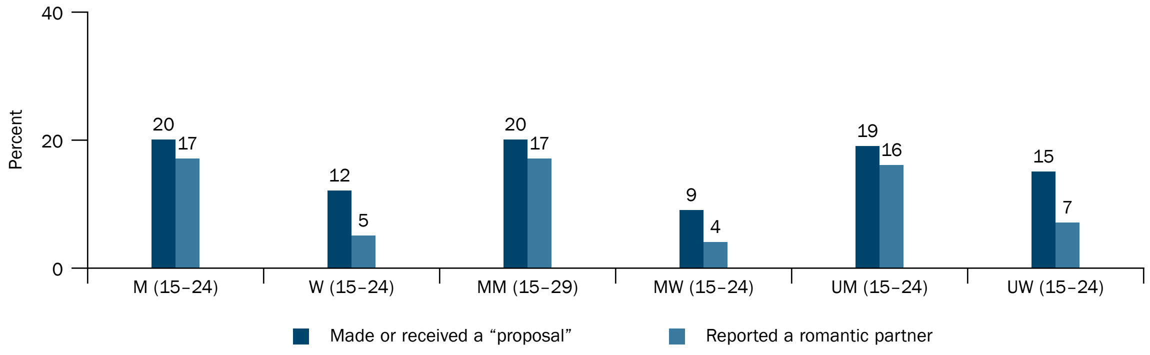

M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women

विवाह पूर्व प्रेम एवं अन्य सम्बंधों में यौन अनुभव

सात में एक (14%) युवकों और 3% युवतियों ने प्रेमी तथा/या अन्य साथियों के साथ विवाह–पूर्व यौन सम्बंध की बात की। विशेषतौर से, युवतियों के मुकाबले युवकों और शहरी के मुकाबले ग्रामीण युवाओं में पहला विवाह–पूर्व यौन सम्बंध कम उम्र में हुआ। इसके अतिरिक्त, जैसे–जैसे युवाओं का परागमन आरम्भिक किशोरावस्था के बाद के किशोरावस्था में होता गया, विवाह–पूर्व यौन क्रियाएं तेजी से बढ़ने लगी तथा ये क्रियाएं यौवनावस्था में परिवर्तन के साथ और भी बढ़ी।

यद्यपि अनेक यौन अनुभवों में प्रेमी के साथ यौन संपर्क विवाह–पूर्व यौन सम्बंध की मुख्य चारित्रिक विशिष्टता रही है, हमारे अध्ययन के परिणाम दर्शाते है कि युवतियों के विपरीत युवकों ने अन्य सन्दर्भों में भी यौन संबंध बनाए, युवकों द्वारा बताये गए अन्य साथियों में मुख्यतः सेक्स वर्कर, विवाहित महिलाएं एवं अनियत (casual) साथी शामिल थे। युवाओं द्वारा बताये गए अनेक विवाहपूर्व यौन संबंध जोखिम से भरे थे, उदाहरण के लिए पांच में से एक युवक तथा चार में से एक युवती ने एक से अधिक साथी के साथ यौन संबंध बनाए। इसके अतिरिक्त लगातार कंडोम प्रयोग सीमित था–केवल 6% युवकों एवं 2% युवतियों ने सभी विवाह पूर्व यौन संबंधों में कंडोम प्रयोग के बारे में बताया।

Percentage of youth reporting pre-marital sex, according to residence, Bihar, 2007

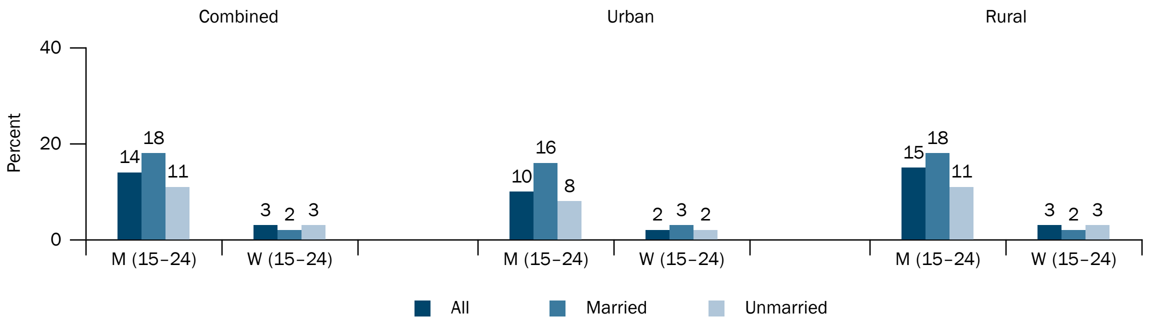

M=Men; W=Women

हम जानते है कि युवा, विशेष रूप से युवतियों का सर्वेक्षण के समय यौन अनुभव के विषय में सम्भवतः बताने में संकोच करती है। अतः इसके लिए वर्तमान अध्ययन के परिशिष्ट में सीधे प्रश्नों की श्रृंखला दी है जिसमें गुमनाम तरीके से यौन अनुभव के बारे में जानकारी देने का अवसर दिया गया है। कुल मिलाकर आमने–सामने साक्षात्कार सहित गुमनाम पत्र में स्वयं दिये गये विवरण का आकलन करते है तो केवल आमने–सामने साक्षात्कार या तीसरे व्यक्ति द्वारा साथी के व्यवहार की अपेक्षा में युवकों में यौन अनुभव अधिक पाया गया। यद्यपि युवतियों में आमने–सामने साक्षात्कार सहित गुमनाम पत्र में स्वयं दिय गए विवरण तीसरे व्यक्ति द्वारा दर्ज विवाह पूर्व यौन संबंध के आकलन थोड़े कम थे।

विवाह में परागमन एवं आरम्भिक वैवाहिक जीवन

युवा अध्ययन के अनुसार यद्यपि ज्यादातर युवा 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह करना पसंद करते थे, चार में से एक युवती 18 वर्ष से पूर्व एवं पांच में से तीन 20 वर्ष से पूर्व विवाह करने की इच्छा व्यक्त की जो इस परिदृश्य में भी युवाओं में बाल विवाह के मानदण्डों को बढावा दिया जाने की तरफ संकेत करता है। इस बात की पुष्टि करते हुए कि अभी भी अनेक युवतियों और कुछ हदतक युवकों के जीवन में भी कम उम्र में विवाह एक परिघटना बना हुआ है, सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि 20–24 वर्ष की 46% युवतियों की 15 वर्ष से कम उम्र में, 77% की 18 वर्ष से पहले और 87% की 20 वर्ष की उम्र से पहले विवाह हुआ। यद्यपि युवकों

में कम उम्र में विवाह का प्रचलन कम था, लेकिन उनमें भी 20–24 वर्ष के 13% युवकों ने 18 वर्ष से पहले तथा 31% ने 20 वर्ष से कम उम्र में विवाह किया।

Percentage of youth aged 20–24 who were married before selected ages, Bihar, 2007

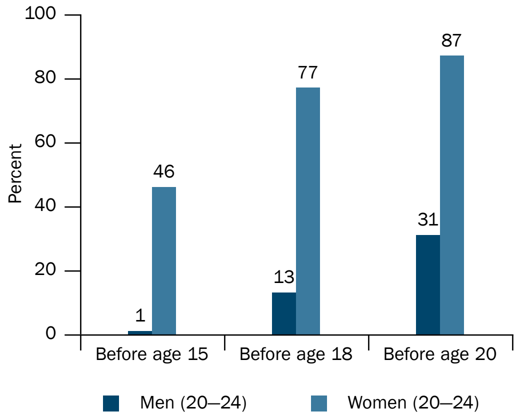

विवाह सिर्फ कम उम्र में ही नहीं किये गए, बल्कि विवाह तय करने में युवाओं खासतौर से युवतियों की कोई भागीदारी भी नहीं थी। प्रायः सभी युवाओं ने माता–पिता द्वारा तय किये गए विवाह की बात बताई। दस युवकों में से एक और पांच युवतियों में दो से अधिक ने बताया कि उनका विवाह तय करते समय माता–पिता ने उनकी सहमति लेना आवश्यक नहीं समझा। अतः आश्चर्य नहीं है कि विवाह पूर्व जान–पहचान की मिसाल बहुत कम मिली। मात्र 4–7% युवाओं ने बताया कि विवाह के पूर्व अपने होने वाले जीवन साथी से उन्हें मुलाकात का कोई अवसर मिला। 90% से भी अधिक युवाओं ने बताया कि उन्होंने पहली बार अपने होने वाले पति या पत्नी से विवाह के दिन पहली बार मुलाकात की। पांच में तीन से भी अधिक युवकों और पांच में से चार युवतियों ने बताया कि विवाह पूर्व जान–पहचान के अभाव के साथ–साथ वैवाहिक जीवन से क्या अपेक्षाएं होती है उन्हें इस जानकारी का भी अभाव था।

दहेज विरोधी कानून की मौजूदगी के बावजूद दो तिहाई युवकों एवं युवतियों के विवाह में दहेज का लेन–देन हुआ। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार जहां तक दहेज के लेन–देन का प्रश्न है तो शहरी युवाओं के परिवार ग्रामीण परिवारों से पीछे नहीं है।

वैवाहिक जीवन से सम्बंधित प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि यद्यपि कई मुद्दों पर पति–पत्नी के बीच सम्पर्क होते थे लेकिन इसकी व्यापकता बहुत कम थी और विशेषतौर पर युवतियों का वैवाहिक जीवन हिंसा से ग्रस्त था। उदाहरण के लिए, चार युवक–युवतियों में से तीन से भी अधिक ने बताया कि अधिकांश मुद्दों पर उनके पत्नियों या पतियों से संवाद होते थे, तथापि गर्भनिरोधक के इस्तेमाल के मामले में बहुत कम लोगों के बीच संवाद था (72% युवतियों और 38% युवकों के बीच)–यह सुरक्षित उपायों के मामले में युवा वर्ग की कम क्षमता को रेखांकित करता है। अधिकांश युवाओं ने शारीरिक हिंसा और वैवाहिक जीवन में जबरदस्ती यौन संबंध बनाए जाने के बारे में बताया। उदाहरण के लिए 30% युवतियों ने बताया कि उनके पति द्वारा शारीरिक अत्याचार किया गया वहीं 30% युवाओं

Percentage of married young women reporting experience of physical and sexual violence perpetrated by their husband and percentage of married young men reporting perpetration of physical and sexual violence against their wife, Bihar, 2007

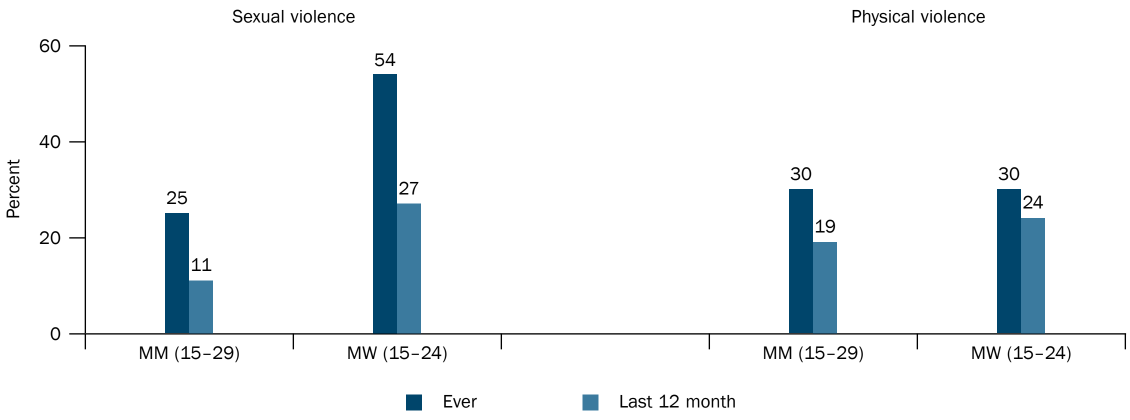

MM=Married men; MW=Married women

ने अपनी पत्नियों पर किए अत्याचार के बारे में बताया। चार में से एक युवती और पांच में से एक युवक ने हाल में हुई हिंसा के बारे में बताया। यौन हिंसा व्यापक रूप से व्याप्त थी। वास्तव में, 49% युवतियों ने बताया कि वैवाहिक जीवन में उनके साथ प्रथम यौन संबंध जबरदस्ती किया गया। आधी से भी ज्यादा (54%) युवतियों का कहना था उन्हें पति द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, वहीं चार युवकों में से एक ने स्वीकार किया कि वे अपनी पत्नियों को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। हाल में हुई हिंसा के बारे में चार युवतियों में से एक और दस में से एक युवक ने स्वीकार किया।

यद्यपि युवा वर्ग अध्ययन में विवाहेतर यौन सम्बंधों को विस्तार से विश्लेषण नहीं किया गया था, फिर भी उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 4% युवकों ने विवाहेतर यौन सम्बंध की बात स्वीकार की। इसके विपरीत, शायद ही किसी युवती ने विवाहेतर यौन सम्बंध के बारे में बताया।

गर्भनिरोधकों का उपयोग एवं गर्भावस्था के अनुभव

वैवाहिक जीवन के दौरान गर्भनिरोधक का इस्तेमाल सीमित था, मात्र 23% युवक और 20% युवतियों ने इसके उपयोग के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त केवल 12% युवक–युवतियों ने वर्तमान में गर्भनिरोधक के इस्तेमाल के बारे में बताया। वर्तमान में उपयोग किए जा रहे गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में ज्यादातर कंडोम और स्त्री बंधीकरण का उल्लेख किया गया। बहुत थोड़े युवाओं–8% युवक और 4% युवतियों ने प्रथम बच्चे के जन्म को टालने के लिए गर्भनिरोधक के इस्तेमाल की बात कही। कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रायः पांच में से दो युवतियों को विवाह के प्रथम वर्ष में ही गर्भ ठहर गया और आधे युवकों ने बताया कि उनकी पत्नियों को इस दौरान एक बार गर्भ ठहरा। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर युवाओं ने अनचाहे गर्भ का जिक्र किया। उदाहरण के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित युवतियों, जो उस समय गर्भवती नहीं थीं, में से 33% और 23% युवकों, जिनकी पत्नियां गर्भवती नहीं थीं, ने बताया कि उनका पिछला गर्भ असमय तथा अवांछित था।

Percentage of married youth reporting lifetime and current use of contraceptive methods within marriage, Bihar, 2007

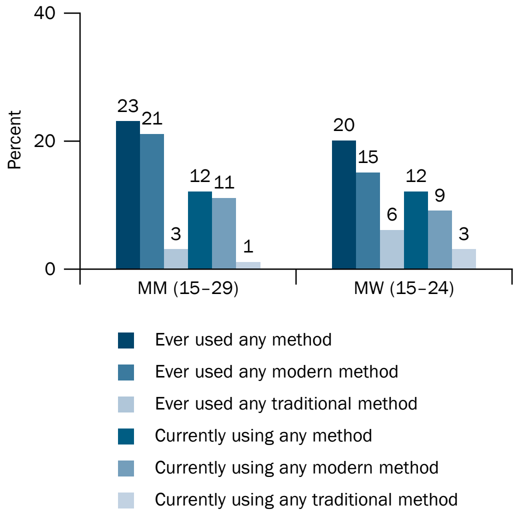

MM=Married men; MW=Married women

प्रथम जन्म की परिस्थितियां संकेत करती हैं कि संस्थागत प्रसव तथा प्रशिक्षित हाथों द्वारा प्रसव के मामले बहुत थोड़े थे; सिर्फ 23–25% प्रथम प्रसव ही संस्थागत रूप से कराए गए और 35–42% प्रसव के समय ही प्रशिक्षित कर्मी मौजूद थे।

साक्ष्य यह भी बताते हैं कि अधिकांश युवा एक बेटा और एक बेटी दोनों चाहते थे, हलांकि लड़का पाने की वरीयता स्पष्ट थी। एक तिहाई युवक और पांच में से दो युवतियों ने पुत्रियों की अपेक्षा ज्यादा पुत्रों का होना पसंद करते थे। इसके विपरीत केवल 2–4% ने पुत्रों की अपेक्षा ज्यादा पुत्रियों की इच्छा प्रकट की थी।

मादक पदार्थों का प्रयोग

सर्वेक्षण की तथ्यों से पता चलता है कि अधिक संख्या में युवक तम्बाकू और शराब का सेवन करते थे: पांच में से दो युवकों ने तम्बाकू और छह में से एक ने शराब के सेवन के बारे में बताया। मादक पदार्थों का सेवन 2% से भी कम युवकों में था। कुछ युवतियों ने भी बताया कि उन्होंने उपयुक्त नशीले पदार्थों का सेवन किया।

स्वास्थ्य की देखभाल से सम्बंधित व्यवहार

यद्यपि युवावस्था सामान्यता जीवन का स्वस्थ काल होती है, तथापि साक्षात्कार के वक्त कई युवाओं ने सामान्य, मानसिक तथा यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं के बारे में बताया। एक तिहाई युवाओं ने तेज बुखार की शिकायत की और 8% युवकों व 22% युवतियों ने साक्षात्कार से पहले तीन माह के दौरान से जनांग संक्रमण के लक्षण होने के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त, 11% युवतियों ने मासिक से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया, इसी तरह पांच में से एक युवकों ने स्वप्न दोष की चिंताओं को रखा और अंततः में 16% युवकों और 9% युवतियों ने मनोरोग से मिलते–जुलते लक्षण बताये।

जहां तक सामान्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित उपचार का प्रश्न है, तो समस्या की प्रकृति के अनुसार अलग–अलग कोशिशें देखी गईं। तेज बुखार से ग्रस्त ज्यादातर लोगों ने जहां इलाज के लिए पहल की, वहीं यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं के मामले में कुछेक लोगों को ही इलाज कराते देखा गया। प्राप्त साक्ष्य यह भी बताते हैं कि चाहे समस्या जिस प्रकार की हो, युवकों के मुकाबले युवतियों में स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने की प्रवृति कम थी। जिन लोगों ने इलाज हेतु प्रयास किए, उनमें ज्यादतर लोग, चाहे रोग किसी भी प्रकार का हो, निजी सुविधा या प्रदाता के पास गए। यहां गौर करने की बात है कि जनांग संक्रमण या मासिक से जुड़ी समस्याओं के लिए एक चौथाई युवाओं ने घरेलू नुस्खों या परंपरागत या अप्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं का सहारा लिया। स्वप्न दोष के बारे में चिंताओं के लिए ज्यादातर युवकों ने अपने हम उम्रों की सलाह लेना ज्यादा उचित समझा।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के मामले में युवक और युवतियां सहज नहीं थे। उदाहरण के लिए, अनेक युवाओं–युवकों की तुलना में ज्यादा युवतियों ने बताया कि गर्भनिरोधक के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं या फार्मेसी/दवा दुकान के पास जाने में उन्हें परेशानी होती है।

अंत में, एक अत्यंत छोटे भाग (1–2%) ने बताया कि उन्होंने एचआइवी जांच कराई। ज्यादातर युवा विवाह–पूर्व एचआइवी जांच कराने के पक्ष में थे।

नागरिक समाज तथा राजनीतिक जीवन में सहभागिता

प्राप्त साक्ष्यों से यह उजागर होता है कि नागरिक समाज में युवाओं की भागीदारी अत्यन्त सीमित थी, हालांकि युवाओं के कौशल निर्माण हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन सामुदायिक स्तर पर आयोजित सरकारी और एनजीओ प्रायोजित कार्यक्रमों से बहुत कम युवा (8–15%) अवगत थे। सिर्फ 7% युवक और 2% युवतियों ने ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी के बारे में बताया। लगभग एक चौथाई युवा (23%) और (4%) युवतियों ने बताया कि वे सफाई अभियान, उत्सव आयोजन, राष्ट्रीय दिवस आदि सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। मात्र 8% युवक और 2% युवतियां संगठित समूहों के सदस्य थे।

राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता सार्वभौमिक नहीं थी। वोट देने योग्य युवाओं में 65% युवकों और 51% युवतियों ने हाल के चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। पांच में से चार युवाओं का मानना था कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक और बिना डर और दबाव के मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यद्यपि ज्यादातर युवा खासतौर से युवक यानी 69% युवक और 35% युवतियां सामुदायिक स्तर पर परिवर्तन के लिए राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धताओं के प्रति संशंकित थे।

धर्म निरपेक्षता के मामले में अलग–अलग दृष्टिकोण थे। 90% से अधिक युवकों और 80% युवतियों ने बताया कि वे विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोगों के साथ मुक्त भाव से मिलते हैं। यद्यपि मात्र 64% युवकों और 38% युवतियों ने कहा कि वे दूसरे धर्म या जाति के लोगों के साथ बैठकर भोजन करेंगे; मात्र 35% युवक एवं 46% युवतियां ही अंतरजातीय विवाह करनेवालों से बात करने के लिए तैयार थे और मात्र 32% युवक और 42% युवतियों का ही यह मानना था कि दूसरे धर्म का अनादर करने वालों को दंडित करने की बजाय उन्हें माफ कर देना ही ज्यादा बेहतर होगा।

Percentage of youth aged 20 or above who voted in the last election, Bihar, 2007

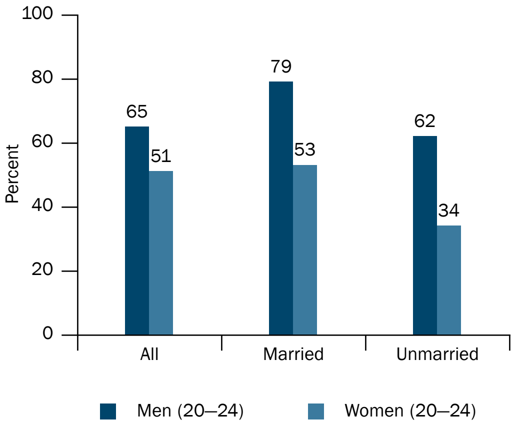

अत्याधिक अनुपात में युवकों एवं युवतियों के अनुसार उनके गांव या नजदीक के शहरी इलाके में युवाओं के बीच मारपीट की घटना हुई; सात युवकों में से एक ने और 4% युवतियों ने बताया कि वे साक्षात्कार से पहले एक वर्ष के दौरान मारपीट की घटना में शामिल हुए थे।

युवक और युवतियों दोनों ने युवाओं के सम्मुख चार प्रमुख समस्याएं रखीं–बेरोजगारी, गरीबी, नागरिक सुविधाओं तथा शैक्षणिक अवसरों का अभाव। यद्यपि युवाओं के सम्मुख समस्याओं की समझ के मामले में लिंग के आधार पर काफी भिन्नताएं थीं। युवकों में अधिकांश ने रोजगार मिलने में कठिनाई को सबसे बड़ी समस्या बताया, उसके बाद गरीबी तथा फिर शैक्षणिक अवसरों तथा नागरिक सुविधाओं या अधिसंरचना के अभाव को गिनाया। इसके विपरीत, युवतियों की दृष्टि में नागरिक सुविधाओं तथा अधिसंरचना का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी तथा उसके बाद गरीबी। शैक्षणिक अवसरों के अभाव तथा रोजगार ढूंढने में कठिनाई को उन्होंने निचले क्रम में रखा।

कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन

उपरोक्त सर्वेक्षण इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि प्रौढावस्था के तरफ बढ़ते समय युवाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां युवा, परिवार और सेवा प्रदान करने की व्यवस्था के स्तरों पर अनेक क्षेत्रों में कार्यक्रम हस्तक्षेप की मांग करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन से उभरने वाली मुख्य सिफारिशों की रूपरेखा इस प्रकार है:

सर्वव्यापी विद्यालय नामांकन और न्यूनतम प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की पूर्ति के लिए प्रयासों को मजबूत करें

युवा वर्ग अध्ययन का यह निष्कर्ष कि प्राथमिक विद्यालय में युवा वर्ग का भी नामांकन सर्वव्यापकता से कोसों दूर है, विद्यालय में बच्चों का सर्वव्यापी नामांकन प्राप्त करने हेतु समन्वित प्रयासों की मांग करता है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक स्तर पर भी विद्यालयों में उपस्थिति में भारी गिरावट तथा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई पूरी करने की अपेक्षाकृत निम्न दर दिखलाने वाले ये निष्कर्ष अनिवार्यत: इस बात पर विवश करते हैं कि सर्वव्यापी रूप से प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को हासिल करने हेतु राज्य की ओर से कठोर प्रयास किए जाएं।

सर्वव्यापी नामांकन और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा की पूर्ति हासिल करना प्रमुख अल्पकालिक लक्ष्य हैं, वहीं वयस्क अवस्था में युवा वर्ग के प्रौढावस्था के तरफ सफल बढ़ोतरी के लिए उन्हें सक्षम बनाने में हाई स्कूल शिक्षा का महत्व इस शिक्षा की पूर्ति के सामने खड़ी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता और इसके लिए गंभीर प्रयासों को रेखांकित करता है।

युवा अध्ययन में ऐसे अनेक कारकों को चिन्हित किया गया है जो विद्यालय नामांकन और प्राथमिक शिक्षा की पूर्ति में बाधा बनते हैं, जिनमें प्रमुख हैं–आर्थिक कारण, युवाओं और उनके माता–पिता के रवैये और बोध, और साथ ही युवतियों के बीच घरेलू कामकाज की जिम्मेवारियां। इन बाधाओं से निपटने के लिए बहुविध गतिविधियां जरूरी हैं। उदाहरणार्थ, उन आर्थिक दबावों को दूर करने के प्रयास करने होंगे जिसके चलते माता–पिता अपने बच्चों को विद्यालय में दाखिला अथवा नामांकन के बाद पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाते हैं। अभिवंचित समुदायों के बीच विद्यालय नामांकन और शिक्षा–पूर्ति को प्रोत्साहित करने हेतु सशर्त अनुदान और लक्ष्योन्मुख सहायता पर विचार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ, माता–पिता की ओर लक्षित गतिविधियां भी आवश्यक हैं जो उनके अंदर शिक्षा और

स्कूली पढ़ाई पूरी करवाने के लिए सकारात्मक रवैया उत्पन्न करे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चाहत पैदा करे तथा बच्चों की शिक्षा में माता–पिता की संलग्नता को प्रोत्साहित करें।

विद्यालय से संबंधित बाधाओं, खासकर, विद्यालय से दूरी, अपर्याप्त अधिसंरचना, शिक्षा की निम्न गुणवत्ता, और विशेषतः युवतियों के मामले में पढ़ाई जारी न रख पाने के पीछे महत्वपूर्ण कारकों से निपटने के लिए भी प्रयास करने होंगे। राज्य सरकार ने ऐसी कुछ अड़चनें दूर करने हेतु कुछ योजनाएं शुरू की हैं (उदाहरण के लिए लड़कियों के वास्ते साइकिल योजना); यह आवश्यक है कि ऐसी योजनाओं की कारगरता का मूल्यांकन किया जाए, इससे सबक लिए जाएं और इन्हें संवर्धित किया जाए।

विद्यालय व्यवस्था के अंदर आजीविका कौशल निर्माण मॉडल को भी समन्वित करने की आवश्यकता है जिससे स्कूल जानेवालों के लिए बाजार–प्रेरित रोजगार कौशल हासिल करने के अवसर प्राप्त हों और अपनी शिक्षा व कैरियर के प्रति युवाओं के बीच आकांक्षा जागृत हो सके। इसके अतिरिक्त, बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा शिक्षकों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं इस प्रकार स्कूली शिक्षा के अनुभवों को समुन्नत बनाने हेतु निवेश करने की भी आवश्यकता है। अंततः, इस प्रकार की व्यापक अनुपात के मद्देनजर कि पारिवारिक खेती–बाड़ी के लिए अथवा व्यवसाय या घरेलू कार्यों के लिए स्कूली शिक्षा बाधित हो जाती है, और युवा लोगों की जिंदगी तथा परिवार पर आर्थिक दबावों की वास्तविकता को देखते हुए, स्कूली शिक्षा के समयों को भी समंजित करने की भी आवश्यकता है, सायंकालीन विद्यालयों की व्यवस्था भी की जा सकती है जिससे कि पारिवारिक खेती–बाड़ी अथवा व्यवसाय–कर्म शामिल होने के चलते बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाएं।

लड़कियों की स्कूली शिक्षा बरकरार न रह पाने के एक महत्वपूर्ण कारण के बतौर उनकी बालिग भूमिकाओं में संक्रमण, खास तौर पर कम उम्र में–यहां तक कि प्राथमिक विद्यालय के स्तर में ही–विवाह जैसे तथ्य इस बात को रेखांकित करते हैं कि शिक्षा–क्षेत्र के बाहर भी कार्यक्रमगत प्रतिबद्धताएं सर्विक विद्यालय नामांकन और शिक्षा–पूर्ति के लिए अति आवश्यक हैं। विशेषतः ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो शादी–विवाह से जुड़े मानकों और व्यवहार का आलोचलनात्मक मूल्यांकन करे और कम उम्र में विवाह की प्रथा को खत्म कर सके। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा निरंतरता और देर से विवाह के लिए आर्थिक सहायता तथा नगद भुगतान के बारे में विचार किया जा सकता है।

विद्यालय–नामांकन के मामले में स्पष्ट लैंगिक विभेद और ग्रामीण–शहरी विभाजन ऐसे प्रयासों की मांग करते हैं जो विशेषतौर पर लड़कियों के लिए और सामान्यतः ग्रामीण बच्चों के लिए लक्षित हों। इसके अतिरिक्त, निष्कर्ष बताते हैं कि विवाहित युवतियां शिक्षा से ज्यादा वंचित रह जाती हैं। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जिससे कि शादीशुदा युवतियों को पुनः बुनियादी शिक्षा हासिल करने का अवसर मिल सके।

युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने में निवेश करें

युवा अध्ययन का यह निष्कर्ष, कि युवाओं के एक बड़े भाग ने बाल्यवस्था में ही कार्य शुरू कर दिया था, उपरवर्णित इसी अनुशंसा पर बल देता है कि अभिवंचित समूहों को सशर्त अनुदान और लक्षित आर्थिक सहायता देने की जरूरत है ताकि माता–पिता अपने बच्चों को कामकाज में लगाने के बजाय उन्हें स्कूलों में भेजना पसंद कर सकें।

निष्कर्षों से युवाओं के बीच कारगर रोजगार–क्षमता का अभाव भी परिलक्षित होता है। उदाहरणार्थ, बहुत कम युवाओं ने प्राथमिक या हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की है और किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वालों की संख्या और भी कम है। इसके अतिरिक्त, खासकर शिक्षित युवकों का बड़ा भाग बेरोजगार है। स्पष्ट है कि राज्य को ऐसे कार्यक्रमों में ज्यादा निवेश करना होगा जो युवाओं को काम करने में सक्षम बना सकें–अपने खुद के उद्यम लगाने हेतु युवाओं के लिए सुलभ ऋण का प्रावधान इसमें शामिल है। इसी के साथ, मौजूदा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने, सफल कार्यक्रमों को उत्क्रमित करने और उसकी उपलब्धता के बारे में युवाओं

की जानकारी बढ़ाने के लिए भी प्रयास जरूरी हैं। रोजगार–क्षमता में वृद्धि बहुत हद तक शिक्षा प्राप्ति में उपरोक्त सुधारों पर तो निर्भर करती ही है, साथ ही युवाओं को व्यावसायिक कौशल हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए वृहत निवेश की भी आवश्यकता है। ऐसे औपचारिक तंत्र विकसित करने होंगे जो युवाओं को वैसे व्यावसायिक कौशल हासिल करने लायक बना सकें जिनकी स्थापित बाजार–मांग हो और जो युवाओं को बाजार के अवसरों के साथ जोड़ सकें। विभिन्न आजीविका योजनाओं से जुड़कर इन प्रयासों के जरिए युवा लोगों के बीच स्व–रोजगार और उद्यमिता विकसित करनी होगी।

अध्ययन के निष्कर्ष युवतियों पर खास ध्यान देने की जरूरत पर भी बल देते हैं। आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी युवतियों का बड़ा हिस्सा अंशकालिक रूप से और अधिकतर खेती–बाड़ी के कार्यों में ही संलग्न था। इसके अतिरिक्त, अनेक युवतियां साक्षात्कार के समय रोजगार पाना चाहती थीं। ये निष्कर्ष युवतियों के लिए विशेषतः लक्षित कार्यक्रमों की आवश्यकता दिखलाते हैं।

युवा ऐजन्सी (Agency) एवं युवाओं में स्त्री-पुरुष विभाजन को एक समान बनाने वाले मानकों को बढ़ावा दें

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष लिंग के आधार पर दुहरे मानदंडों की निरंतरता और युवतियों के लिए अत्यंत सीमित साधन की मौजूदगी को उजागर करते हैं। विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति और शिक्षा की पूर्ति, श्रम बाजार में भागीदारी, प्रसार माध्यम से सम्पर्क, किशोरावस्था की गतिविधियों और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया पर माता–पिता का नियंत्रण, युवा–जीवन को प्रभावित करने वाली बातों में पसंद–नापसंद, आने–जाने की स्वतंत्रता और संसाधनों तक पहुंच, आदि मामलों में स्पष्ट लिंग विभेद दिखते हैं। समान लिंग मानदंड सर्वत्र अभिव्यक्त नहीं होते थे; युवकों की तुलना में युवतियां समान लिंग की भूमिका के बारे में ज्यादा मुखर थीं, लेकिन पत्नी को पीटने की ज्यादा तरफदारी भी युवतियां ही करती थीं। ये निष्कर्ष युवतियों, युवकों, उनके परिवारों व समुदायों के बीच शिक्षा, श्रम और स्वास्थ्य प्रणालियों में समान लिंग मानदंड विकसित करने हेतु बहुआयामी हस्तक्षेप की मांग करते हैं।

विवाहित और अविवाहित युवतियों के लिए जीवन कौशल शिक्षण कार्यक्रम संवंर्धित करने हेतु कार्यक्रम की प्राथमिकता आवश्यक है जिससे न केवल नए विचारों और आसपास की दुनिया के बारे में उनकी जानकारी बढ़ सके, बल्कि वे जानकारियों को अमल में ला सकें, लिंग के आधार पर रूढ़ियों पर सवाल उठा सकें, आत्मसम्मान बढ़ा सकें तथा समस्याओं को सुलझाने, निर्णय लेने, विचारों के आदान–प्रदान करने और अंतरवैयक्तिक रिश्तों व वार्ताओं में अपनी योग्यता को मजबूत बना सकें। ऐसे सुरक्षित अवसर चिन्हित करने होंगे, जिसमें युवतियां अपना सामाजिक नेटवर्क बना सकें और समवयस्कों के बीच सामाजिक समर्थन हासिल कर सकें।

जीवन कौशल निर्मित करने हेतु लिए गए कार्यक्रमों में युवकों को भी अवश्य शामिल करना होगा। वस्तुतः निष्कर्ष बताते हैं कि अनेक युवकों ने विषमतापूर्ण लिंग के आधार पर भूमिका रवैया जाहिर किया था। इसके अतिरिक्त, जहां युवकों की तुलना में युवतियां अधिक अभिवंचित थीं, वहीं निष्कर्ष यह भी बताते हैं कि अनेक युवक अपने दैनिक जीवन में साधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये निष्कर्ष युवकों के लिए जीवन कौशल शिक्षण कार्यक्रम की मांग करते हैं जो युवाओं के बीच पुरुषत्व और नारीत्व की नई अवधारणाएं विकसित करने के साथ–साथ नारी और पुरुष के बीच समतामूलक संबंध बनाने का संदेश दे सकें। समतामूलक लैंगिक मानदंड और आचरण विकसित करने हेतु समुदाय के साथ सक्रिय अंतःक्रिया आवश्यक है। यह आवश्यक है कि युवा वर्ग के लिए कार्यक्रम समुदाय के प्रमुख सदस्यों, जैसे–माता–पिता, समुदाय में राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के साथ मिलकर चलाए जाएं ताकि मौजूदा लैंगिक मानदंडों और इन्हें बरकरार रखने वाली शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा सके।

भारत में युवाओं के बीच साधन निर्मित करने और समतामूलक लैंगिक भूमिका रवैया विकसित करने के लिए अधिकाधिक संख्या में हस्तक्षेप–मॉडलों का परीक्षण किया गया है। इन मॉडलों की समीक्षा की जानी चाहिए और यथोचित रूप से या तो इन्हें बदला जाना चाहिए अथवा और भी संवर्धित करना चाहिए।

औपचारिक बचत के अवसर, विशेषतया युवा महिलाओं का प्रदान करें

प्रस्तुत अध्ययन बताता है कि युवकों की तुलना में युवतियां ज्यादा बचत करती थी, जबकि कुछ ही युवाओं के पास चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, बचत खाता थे। जिन लोगों के पास खाता थे, उनमें युवतियां युवकों की तुलना में स्वतंत्र रूप से खाता संचालन में पीछे थीं। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो युवक और युवतियों दोनों में ही बचत की प्रवृति को पैदा करे, ऐसी बचत योजनाओं की पेशकश करे जो युवाओं की छोटी व अनियमित बचत के लिए आकर्षक एवं उपयुक्त हों और जो विशेषरूप से युवतियों को बचत में आनेवाली बाधाओं को दूर करने में मदद कर सके।

नागरिक समाज और राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा दें और उनमें धर्मनिरपेक्ष दृष्टि को सुदृढ़ करें

अध्ययन से पता चलता है कि युवाओं के पास नागरिक एवं राजनीतिक जीवन में शामिल होने के अवसर सीमित हैं और धर्मनिरपेक्ष दृष्टि एकीकृत रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाती है। स्कूल, कॉलेज तथा सामुदायिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम, खेल–कूद और अन्य अनौपचारिक माध्यमों से ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन दें, जिम्मेवार नागरिक बनने हेतु उनमें मूल्य बोध, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि एवं विचार का समावेश कर सकें।

विद्यालय जाने वाले एवं विद्यालय छोड़ चुके हुए लोगों के लिए पारिवारिक जीवन अथवा यौन शिक्षा प्रदान करें

यूथ स्टडी द्वारा प्रस्तुत अध्ययन यह बताते है कि स्कूल में और बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले स्कूल से बाहर–दोनों तरह के युवाओं को पारिवारिक जीवन या यौन शिक्षा तत्काल दिया जाना आवश्यक है। प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि यौन एवं प्रजनन मामलों में युवाओं, यहां तक कि विवाहित युवाओं की भी अत्यंत कम समझदारी है। अधिकांश विषयों–यौन एवं गर्भावस्था, कंडोम समेत अन्य गर्भनिरोधक तरीकों, एसटीआई तथा एचआइवी/एड्स और गर्भपात की कानूनी शर्तों एवं निषेधों के बारे में भ्रांतियां व्याप्त हैं। अगर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के मामलों में कहीं जागरूकता मौजूद भी है, तो वे बिल्कुल सतही हैं।

युवाओं ने खुद पारिवारिक जीवन या यौन शिक्षा की मांग की है। प्राप्त साक्ष्यों से उजागर होता है कि बड़े अनुपात में युवाओं ने इन मुद्दों पर सूचना की आवश्यकता महसूस की और उन्होंने इस शिक्षा को शिक्षक, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या माता–पिता से प्राप्त करने पर जोर दिया, यद्यपि कुछ युवा पारिवारिक जीवन या यौन शिक्षा से अवगत थे। बड़ी संख्या में विवाहित युवतियों और युवकों ने बताया कि विवाहित जीवन शुरू करने से पूर्व वे इन मुद्दों से एकदम अपरिचित थे। साथ ही, थोड़े–बहुत युवा जोखिम भरे यौन कृत्यों में भी शामिल थे।

अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्कूल में युवाओं के लिए स्कूल आधारित पारिवारिक जीवन या यौन शिक्षा तथा स्कूल से बाहर के युवाओं हेतु विशेषज्ञों की देखरेख में समुदाय आधारित पारिवारिक जीवन या यौन शिक्षा की व्यवस्था हो। ये कार्यक्रम उम्र को दृष्टि में रखकर बनाए जाने चाहिए तथा इसके अंतर्गत यौन एवं प्रजनन मामलों तथा यौन व प्रजनन अधिकारों; गर्भावस्था तथा उसके कारण, संक्रमण के मार्ग तथा बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिहाज से ही नहीं बल्कि इनका इस दृष्टि से भी निर्माण किया जाना चाहिए जिससे वे जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, उन्हें समझ सकें, उनका मूल्यांकन कर सकें और उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय अपना सकें।

इस निष्कर्ष को देखते हुए कि युवाओं के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सम्बंधी सूचना का प्रमुख स्रोत प्रसार माध्यम है, इस दिशा में अवश्य ही प्रयास किए जाने चाहिए, साथ ही ऐसी संचार पहलों के लिए कोशिश करनी चाहिए जो युवाओं का मनोरंजन करते हुए यौन एवं प्रजनन मामलों में उन्हें सूचित कर सकें।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिक अनुपात में पारिवारिक जीवन या यौन शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं ने बताया कि उन्हें इस शिक्षा को प्राप्त करते समय असहजता एवं परेशानी का सामना करना पड़ा। इन निष्कर्षों से यह प्रश्न उठता है कि इन युवाओं ने वाकई किस स्तर तक मुक्त होकर उपरोक्त शिक्षा प्राप्त की और अपनी शंकाओं का समाधान किया और इन्हें शिक्षित करने वाले प्रशिक्षक क्या उनके साथ एकरूप हो पाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशिक्षकों को दिए जानेवाले प्रशिक्षण की गुणवता में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षक, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण हैं ताकि संवेदनशील यौन व प्रजनन मामलों पर युवाओं को संप्रेषित करने में उनकी झिझक दूर हो, इन मामलों में उनकी भ्रांतियां मिट सकें और यौन व प्रजनन मुद्दों पर उनका तकनीकी ज्ञान बढ़ सकें।

सुनिश्चित करना कि यौन जीवन में परागमन सुरक्षित एवं वांछित हो

यद्यपि बहुसंख्यक युवतियों और युवकों की यौन गतिविधियों का प्रारम्भ वैवाहिक जीवन में होता है, प्राप्त तथ्य बताते हैं कि कुछ युवा विशेषकर युवक विवाह पूर्व ही यौन क्रियाओं में शामिल हो चुके थे। जैसा कि इस रिपोर्ट में वर्णित है, अनेक युवा पूर्व जानकारी के बगैर ही यौन गतिविधियों में शामिल पाए गए, यह इस बात को पुनः सामने लाता है कि युवाओं को पारिवारिक जीवन या यौन शिक्षा प्रदान करना कितना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि अनेक युवाओं का यौन अनुभव असुरक्षित था, ऐसे कार्यक्रम की मांग करता है जो युवाओं में यौन व प्रजनन स्वास्थ्य जगरूकता के निर्माण पर केन्द्रित हो और साथ ही सुरक्षित यौन संपर्क और अपने साथियों के साथ सम्पर्क कायम करने में उन्हें कौशल प्रदान करते हों। इसी प्रकार विवाहित और अविवाहित युवक–युवतियों हेतु परिवार नियोजन एवं संक्रमण से सुरक्षा के लिए ऐसे उपयुक्त कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जो उन्हें स्वीकार्य हो।

कम उम्र में विवाह की प्रथा को खत्म करने हेतु प्रयास में तेजी लाएं

तथ्य बताते हैं कि राज्य में बाल विवाह और कम उम्र में विवाह की परंपरागत सामाजिक प्रथा और मानदंडों के प्रति न केवल युवतियों के मन में बल्कि थोड़े कम स्तर तक, युवकों के मन में भी आग्रह व्याप्त है। ये तथ्य जानकारी अभियान से आगे ऐसे उपायों की मांग करते हैं जो कम उम्र में विवाह के लिए जिम्मेवार सामाजिक मानदंडों और आर्थिक कारणों को दूर कर सकें और राज्य में कम उम्र में विवाह को रोकने वाले मौजूदा कानूनों के कठोर क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर सकें। स्पष्टतः कम उम्र में विवाह की प्रथा को मिटाने के लिए तीव्र और बहुआयामी रूख–अपनाने की आवश्यकता है। ऐसी रणनीति की जरूरत है जो कम उम्र में विवाह की प्रथा के लिए सामाजिक दबावों का प्रतिरोध करने में अभिभावकों की मदद हेतु समुदाय को संगठित कर सके। नए मानदंड और नए व्यवहार विकसित करने के लिए जो कार्यनीति बनें, उसमें धार्मिक और राजनीतिक नेताओं समेत समुदाय के प्रभावशाली लोगों को भी सक्रियतापूर्वक शामिल किया जाए और साथ ही ऐसे अभियान चलाए जाएं जिसके जरिए कम उम्र में विवाह के दुष्प्रभावों के अलावा इस पर भी जोर पड़े कि इससे किस प्रकार बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। समुदाय को संगठित करने के प्रयासों में खुद युवकों और उनके परिवारों के साथ–साथ धार्मिक और राजनीतिक नेताओं सहित समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

उतना ही महत्वपूर्ण है कानून लागू करने वाले तंत्र की वृहत्तर प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना ताकि न्यूनतम उम्र और विवाह–निबंधन से सम्बंधित मौजूदा कानूनों को कठोरतापूर्वक लागू किया जा सके और इनका उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जा सके। गुमनाम रिपोर्टिंग को स्वीकार करना, पुलिस और अन्य माध्यमों के साथ काम करके यह उजागर करना कि कम उम्र में विवाह की प्रथा कोई छोटा–मोटा उल्लंघन नहीं है और दंड–विधानों को स्पष्ट व पारदर्शी बनाना ऐसे कुछ संभव उपाय हो सकते हैं।

कम उम्र में विवाह रोकने के लिए लड़कियों को सार्थक और सक्षम विकल्प प्रदान करना भी जरूरी है। जब स्कूल काफी दूर हों, कक्षाएं लड़कियों के अनुकूल न हों अथवा शिक्षा की गुणवत्ता निम्न हो, तब ऐसी स्थितियों में लड़कियों को स्कूल भेजने की

सलाह देने से काम नहीं बनेगा। स्कूली शिक्षा को लड़कियों के लिए सुलभ बनाने और कक्षाओं को लैंगिक रूप से संवेदनशील तथा युवतियों की जरूरतों के अनुकूल एवं उनके अभिभावकों की चिंताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। साथ ही, शैक्षिक प्रणाली के अंतर्गत या इससे बाहर आजीविका प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास भी आवश्यक हैं।

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि युवक–युवतियों से सलाह–मश्वरा किए बिना ही प्रायः विवाह तय कर दिए जाते हैं और उन्हें अपने भावी जीवन–साथी से मिलने का कोई अवसर नहीं मिल पाता है। इसीलिए, माता–पिता को प्रेरित करना चाहिए कि वे विवाह से संबंधित फैसलों में बच्चों को शामिल करें और विवाह से पहले अपने भावी जीवन साथी के साथ मिलने का उन्हें अवसर दें। माता–पिता को कम उम्र में विवाह होने से होने वाले शारीरिक व मानसिक खतरों की जानकारी देनी चाहिए और उन्हें उन युवतियों (तथा कुछ युवकों) के बुरे अनुभवों से भी अवगत करना चाहिए जिनका कम उम्र में विवाह हुआ है अथवा जो विवाह के लिए तैयार नहीं थे।

विवाहित युवतियों को अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण रखने के योग्य बनाएं

विवाहित युवतियां जिन परेशानियों का सामना करती हैं उनके बारे में सर्वेक्षणों से यह जरूरत सामने आती है कि उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए ऐसे कार्यक्रम बनायें जाएं जो उन्हें सहयोग प्रदान कर सके। क्योंकि उनकी स्थिति एवं आवश्यकताएं विवाहित व्यस्कों से अलग हो सकती हैं विवाहित युवतियां प्रायः अलग–अलग पड़ जाती हैं, फैसला लेने में उनका कोई हक नहीं होता है और सहयोग का कोई स्रोत भी उनके पास नहीं रहता है। उनके एवं उनके पति के बीच काफी कम संवाद हुए हैं तथा काफी अनुपात में उन्होंने अपने पति द्वारा शारीरिक एवं यौन हिंसा का अनुभव किया है।

ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है जिससे विवाहित युवतियों के स्वास्थ्य व सशक्तीकरण से संबंधित जरूरतों की पूर्ति और संसाधनों पर उनका ज्यादा नियंत्रण स्थापित हो सके। साथ ही ऐसे प्रयास भी जरूरी हैं जिससे नवविवाहित युवतियों का सामाजिक अलगाव टूट सके, पतियों के साथ संवाद बढ़ सके और आपसी झगड़ों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने में वे सक्षम हो सकें। भारत में ऐसे मॉडल विद्यमान हैं जो इन जरूरतों को ध्यान में रखकर लागू किए गए हैं; इनकी समीक्षा कर इन्हें यथोचित ढंग से संवर्धित करना चाहिए, ताकि विवाहित युवतियां अपने जीवन पर नियंत्रण पा सके।

नवविवाहितों में प्रथम गर्भावस्था का विलम्बन एवं गर्भवती महिलाओं में गर्भ संबंधी देखभाल को बढ़ावा दें

अध्ययन से पता चलता है कि विवाह के बाद जल्द से जल्द संतानोत्पत्ति के लिए सामाजिक दबाव बरकरार है, यद्यपि युवक–युवतियों के एक बड़े हिस्से ने विलंब से पहला गर्भधारण करने की इच्छा जतायी, किंतु इसके लिए वे गर्भ–निरोधकों का बहुत कम इस्तेमाल कर पाए और अनेक युवतियां शादी के तुरंत बाद गर्भवती हो गईं। यह दिखाई देता है कि पहले गर्भ को रोकने के खिलाफ बहुत सी शक्तियां काम करती हैं–गर्भनिरोध के उचित तरीकों की जानकारी और गर्भ निरोधकों तक उनकी पहुंच का अभाव, सामाजिक दबावों का प्रतिरोध करने और गर्भ रोकने का उपाय करने की उनकी सीमित योग्यता, विवाह के बाद जल्द से जल्द संतानोत्पत्ति के लिए परिवार और समुदाय का जबर्दस्त दबाव तथा स्वास्थ्य–सेवा प्रदायी तंत्र की ओर से देखभाल न किया जाना।

ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जिसके जरिए युवा वर्ग देर से गर्भधारण के प्रति जागरूक हो सके और उचित गर्भ निरोधक उपाय अपना सके। साथ ही, स्वास्थ्य सेवकों को प्रशिक्षित कर उन्हें विवाहित युवक–युवतियों तक–उन तक भी जिन्होंने गर्भधारण का अनुभव नहीं किया है–जाने तथा गर्भ निरोध व प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य जानकारियां देने और गर्भ निरोधकों की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा हासिल करने की विवाहित युवतियों की सीमित गतिशीलता को देखते हुए जरूरी है कि स्वास्थ्यकर्मी ही घरों में जाकर इन महिलाओं से–विशेषकर, नवविवाहितों और प्रथम बार गर्भधारण करनेवाली युवतियों से–मिलें।

सर्वेक्षण यह भी रेखांकित करता है कि पहले–और प्रायः सबसे जोखिम भरे–गर्भ के समय भी मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। चार में से सिर्फ एक पहली संतानोत्पत्ति स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हो सकी है। तीन युवतियों में से सिर्फ एक और पांच युवकों में से सिर्फ दो ने बताया कि पहले प्रसव के दौरान उचित देखभाल हो पाई है। ये तथ्य बताते हैं कि राज्य में प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए युवा लोगों के बीच इन सेवाओं की मांग और, साथ ही इनकी उपलब्धता बढ़ाने पर जोर देने की आवश्यकता है।

अनुकूल पारिवारिक माहौल पैदा करें

निष्कर्ष दर्शाते हैं कि माता–पिता और युवा होते लोगों के बीच परस्पर संवाद सीमित है और सामाजिक दूरियां बनी हुई हैं; साथ ही, समाजीकरण की प्रक्रिया में लैंगिक विभेदों का भी अहसास होता है। युवा वर्ग के लिए समर्थनकारी वातावरण बनाने का प्रयास करना होगा। साक्ष्य बताते हैं कि ऐसे मॉडल फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं जो माता–पिता और बच्चों के बीच की दूरियां मिटाने और अभिभावकों को समतामूलक लैंगिक सामाजिक आचरण करने लायक बनाने में कारगर हो सकें। अतः इस रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्ष ऐसे कार्यक्रमों की मांग करते हैं जो अपने बच्चों के साथ यौन विषयों पर बातचीत करने में माता–पिता की बाधा को तोड़ सकें। माता–पिता और बच्चों के बीच ज्यादा खुलापन और आपसी संवाद को बढ़ावा दें और बच्चों के लालन–पालन में बेटे–बेटियों के बीच फर्क को समाप्त कर सकें।

अविवाहित और विवाहित युवक-युवतियों की खास जरूरतों की पूर्ति के लिए सेवा प्रावधानों को पुनर्निर्देशित करें

यद्यपि आरसीएच कार्यक्रम में सभी युवकों के लिए विशेष सेवाओं की सिफारिश की गयी है, किंतु ये सेवाएं युवा वर्ग तक नहीं पहुंच पाई हैं। बहुत कम युवाओं को यौन और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सूचनाओं अथवा गर्भनिरोधकों की आपूर्ति के स्रोतों की जानकारी थी, बहुत कम लोगों ने यौन संचारित संक्रमण रोग के लक्षणों के लिए स्वास्थ्य–सेवा लेने का प्रयास किया था और जिन लोगों ने लिया भी, उनमें से अधिकांश ने सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र की सेवाएं पसंद कीं। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण यह भी दर्शाता है कि विवाहितों समेत अनेक युवाओं के लिए यौन प्रजनन संबंधी मामलों में उचित स्वास्थ्य सेवा हासिल करना कठिन लग रहा था।

सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र और युवा वर्ग के बीच का यह अलगाव इस आवश्यकता को रेखांकित करता है कि स्वास्थ्य–सेवा प्रदायी तंत्र को अविवाहित और विवाहित युवक–युवतियों की विशेष आवश्यकताओं, विषमताओं और कमजोरियों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा और नवविवाहित युवाओं समेत इन भिन्न–भिन्न समूहों तक पहुंचने के लिए सटीक कार्यनीति करने की जरूरतों के अनुसार इन्हें निर्देशित करना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में अविवाहित युवाओं को समाहित करना होगा और यौन व प्रजनन से जुड़ी स्वास्थ्य व अन्य जानकारियां एवं सेवाएं प्राप्त करने की उनकी जरूरतों और अधिकार को मान्यता देनी होगी। अविवाहित युवाओं के लिए भयमुक्त, निष्पक्ष और गोपनीय माहौल में परामर्श और गर्भनिरोध सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। वस्तुतः, ये निष्कर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित रणनीति के क्रियान्वयन की मांग करते हैं।

यह तथ्य, कि बहुत युवाओं ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हासिल की हैं और जिन्होंने ये सेवाएं लीं उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र और परंपरागत स्वास्थ्यकर्मियों को पसंद किया, इस आवश्यकता को रेखांकित करता है कि विभिन्न मांग–पक्षीय वित्तीय कार्यनीतियां, यथा–स्वास्थ्य बीमा, प्रतियोगितामूलक वाउचर स्कीम और सामुदायिक वित्तीय योजनाओं, के क्रियान्वयन की व्यवहार्यता का पता लगाया जाए, ताकि युवा वर्ग स्वास्थ्य सेवा तंत्र के व्यापकतर क्षेत्र से ये सेवाएं प्राप्त कर सके।

इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। युवाओं के एक बड़े हिस्से में मानसिक स्वास्थ्य–विकृतियों के लक्षण पाए गए हैं। जब युवा वर्ग के लोग अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे–यौन और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं, लेने जा रहे हों तो उनमें से ऐसी विकृतियों से ग्रसित युवाओं की पहचान करके उन्हें उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवा–प्रदाता उपलब्ध कराना चाहिए।

आगामी शोध की दिशाएं

इस अध्ययन के निष्कर्ष बिहार के युवाओं की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही इस निष्कर्ष से बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिन पर आगे जांच–पड़ताल की आवश्यकता होगी। विशेषतः वय संधि काल के दौरान युवाओं के आचार–व्यवहार के निर्धारक तत्व और परिणाम ऐसे ही मुद्दे हैं। यद्यपि वास्तव में युवा अध्ययन आंकड़ों का उत्तम स्रोत है जो शोधकर्ताओं को सूचनाओं से संबंधित रिक्तियों का पूरा करने योग्य बनायेगा, परन्तु इन जानकारियों में अनेक खामियां है जिसके लिए अतिरिक्त शोध की आवश्यकता है।

युवा विषयक अध्ययन निर्माणात्मक (फॉरमेटिव) शोध के मामले में और भी अनुसंधान की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि वय संधि काल के अवरोधों, साथ ही विद्यालय में नामांकन और प्राथमिक शिक्षा की पूर्ति, श्रम शक्ति में प्रवेश, यौन गतिविधि का आरंभ तथा विवाह एंव अभिभावकत्व का गहराई से अध्ययन किया जा सके। समव्यवस्कों की भूमिका, समाजीकरण सम्बंधी व्यवहारों, सूचनाओं तक पहुंच तथा युवाओं की जिंदगी में सेवाओं तक पहुंच और उन रास्तों के बारे में और अनुसंधान की जरूरत है जो युवाओं को वय संधि पार करने में सहयोगी या बाधक हो सकते हैं। एक ऐसे भावी या पैनल अध्ययन ढ़ांचा की तत्काल आवश्यकता है जिसमें 24 वर्ष की उम्र तक के युवाओं के समूह को नियमित अंतराल पर अध्ययन का विषय बनाया जा सके। भावी अध्ययन इन प्रकार के बनाए जाए जो जीवन घटना चक्र पर आधारित हो तथा जो युवाओं के स्वस्थ परागमन तथा युवाओं के भविष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारकों को पहचाने एवं उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा करे।

संचालक शोध (operations research) की भी आवश्यकता है। युवाओं की जरूरतों के मद्देनजर कई प्रकार के हस्तक्षेप अपेक्षित हैं–उदाहरण के लिए, विवाहित लड़कियों की आवश्यकता, पुरुषत्व और नारीत्व के बदलते मानक, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन, बाजार आधारित व्यावसायिक कौशल का विकास तथा पारिवारिक जीवन या यौन शिक्षा–इनमें से कुछेक का परिश्रमपूर्वक मूल्यांकन किया गया है। लिहाजा, परिश्रमपूर्वक निर्मित एवं जांचा–परखा एक हस्तक्षेप मॉडल की जरूरत है जिसमें न केवल हस्तक्षेप की अंतर्वस्तु एवं लागू करने के तौर तरीकों पर ध्यान दिया जाएगा बल्कि कारगरता एवं स्वीकार्यता को भी मापा–जोखा जाएगा–संक्षेप मे यह युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में वायदों को लागू करने से बेहतर व्यवहार की ओर स्थानांतरण होगा। क्षेत्र को सूचनाओं से अवगत कराने के लिए कई स्तरों पर सहायता की जरूरत होगी। अंततः ऐसे शोध की आवश्यकता है जो युवाओं के जीवन पर प्रभाव डालने के मामले में सफल हस्तक्षेपों के प्रयासों की जांच करे।

संक्षेप में, युवा अध्ययन में बिहार के युवाओं की बहुआयामी परिस्थितियों को पहली बार संलेखित किया गया है। यह अध्ययन हमें उन परिवर्तनों के बारे में आगाह करता है जिनका युवा सामना कर रहे हैं और साथ ही वय संधि से गुजर रहे युवाओं की क्षमता के बारे में भी यह हमें अवगत करता है। यह अध्ययन युवाओं की विविधता पर न सिर्फ उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में, बल्कि उनकी आवश्यकताओं के मद्देनजर उनके द्वारा व्यक्त आवश्यकताओं एवं तौर–तरीकों के मामले में भी जोर देता है। कार्यक्रम में निश्चय ही युवाओं की विविधता पर ध्यान देना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तक्षेप एवं लागू करने के तौर तरीके निर्धारित करने चाहिए। अध्ययन में प्रस्तुत साक्ष्य न केवल बिहार के युवाओं हेतु कार्यक्रम की रूप रेखा प्रस्तुत करते हैं, बल्कि युवाओं की आवश्यकताओं के प्रति लक्षित कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने का भी एक आधार प्रदान करते हैं।

Key indicators by sex of respondents, 2007: Bihar

Key indicators	Men (15–24)	Women (15–24)	Men (15–24)	Women (15–24)	Men (15–24)	Women (15–24)
	Combined		Urban		Rural	
Number of respondents	**1,942**	**5,529**	**1,039**	**2,581**	**903**	**2,948**
Socio-demographic profile						
1. Completed 7 years of schooling (%)	30.2	24.9	17.9	21.5	32.3	25.3
2. Not in school at age 12 (%)	23.4	57.4	16.1	27.7	24.7	61.3
3. Engaged in paid and/or unpaid work in last 12 months (%)	72.7	36.8	58.8	15.1	75.0	39.6
4. Engaged in paid work in last 12 months (%)	58.9	27.1	52.3	10.4	59.9	29.3
5. Unemployment rate (as % of labour force)	22.4	35.7	21.7	58.3	22.7	33.7
6. Mother discussed reproductive processes with respondent (%)	0.1	3.0	0.4	3.7	0.0	2.9
7. Father discussed reproductive processes with respondent (%)	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0
8. Talked to mother about friends (%)	55.4	67.9	60.5	80.0	54.6	66.3
9. Talked to father about friends (%)	55.0	23.3	59.2	40.1	54.3	21.1
Young people's control over their own lives						
10. Had a bank account (%)	19.5	44.3	23.7	56.4	18.8	42.8
11. Took independent decisions about buying clothes (%)	53.1	29.7	63.8	46.2	51.3	27.6
12. Allowed to visit friends within village/neighbourhood unescorted (%)	N.A.	56.8	N.A.	65.0	N.A.	55.7
13. Allowed to visit health facility unescorted (%)	N.A.	9.5	N.A.	13.7	N.A.	8.9
Sexual and reproductive health knowledge						
14. Correct knowledge of legal minimum age at marriage for females (%)	71.7	58.1	77.8	78.6	70.7	55.5
15. Aware that a woman can get pregnant at first sexual intercourse (%)	27.4	33.2	31.5	39.8	26.8	32.4
16. Aware of:						
a. Condom (%)	89.6	62.0	96.8	82.5	88.4	59.3
b. Oral contraceptive pills (%)	77.2	84.0	88.2	92.9	75.3	82.8
c. IUD (%)	31.9	45.0	46.1	63.3	29.5	42.6
d. Withdrawal (%)	3.4	28.4	4.3	23.4	3.2	29.1
17. Correct specific knowledge[1] of:						
a. Condom (%)	62.1	29.9	70.3	42.1	60.7	28.3
b. Oral contraceptive pills (%)	26.2	48.1	31.8	57.8	25.3	46.9
c. IUD (%)	9.0	22.6	15.1	34.3	8.0	21.1
d. Withdrawal (%)	2.2	22.6	3.2	19.8	2.1	22.9

Key indicators	Men (15–24)	Women (15–24)	Men (15–24)	Women (15–24)	Men (15–24)	Women (15–24)
	Combined		Urban		Rural	
18. Reported that condoms do not reduce sexual pleasure (%)	18.1	19.9	23.2	23.0	17.2	19.4
19. Comprehensive knowledge of the conditions under which abortion is legal[2] (%)	6.4	2.8	7.2	3.8	6.2	2.6
20. Heard about:						
a. HIV/AIDS (%)	87.3	46.9	95.7	79.3	85.9	42.7
b. STI/RTI (%)	11.4	11.6	14.0	10.0	11.0	11.8
21. Comprehensive knowledge of HIV[3] (%)	27.8	15.4	41.9	36.9	25.4	12.6
Pre-marital romantic and sexual relationships						
22. Ever had an opposite-sex romantic partner (%)	17.0	4.9	21.1	9.3	16.3	4.4
23. First spent time alone with an opposite-sex romantic partner before age 15 (%)	47.0	57.9	39.0	44.1	48.6	61.4
24. Ever had pre-marital sexual relations with an opposite-sex romantic partner (%)	6.7	1.4	3.9	1.3	7.1	1.4
25. Ever had pre-marital sex[4] (%)	14.0	2.6	10.4	2.0	14.5	2.7
Self-reported health problems						
26. Anxiety about *swapnadosh*/nocturnal emission (men) in last 12 months (%)	18.6	N.A	18.6	N.A	18.6	N.A
27. Menstrual problems (women) in last 3 months (%)	N.A	11.2	N.A	8.9	N.A	11.5
28. Symptoms of genital infection in last 3 months[5] (%)	8.3	21.6	8.6	16.2	8.2	22.3
Youth life-style						
29. Consumed alcohol at least once in last month (%)	5.1	0.1	3.2	0.0	5.5	0.1
30. Consumed drugs at least once in last month (%)	0.8	0.0	0.7	0.0	0.8	0.0
31. Consumed tobacco products at least once in last month (%)	32.0	1.2	30.5	0.8	32.2	1.3
32. Involved in physical fights in last 12 months (%)	14.1	4.1	15.1	2.4	13.9	4.4
33. Watched television often (%)	9.5	9.1	32.5	42.8	5.7	4.7
Programme participation and voting experience						
34. Participated in youth-related programmes implemented in the community in last 3 years (%)	7.2	1.9	6.1	2.0	7.5	1.9
35. Voted in last election[6] (%)	64.5	51.1	60.7	36.9	65.3	53.1
Marriage						
36. Youth aged 20–24 married before age 18	13.3	77.0	6.0	45.3	14.6	81.5

Note: [1]Among all youth. [2]Includes being aware that: (1) termination of pregnancy is legal for married women; (2) termination of pregnancy is legal for unmarried women; (3) aborting a foetus after 20 weeks of pregnancy is illegal, and (4) sex-selective abortion is illegal. [3]Includes: (1) identification of two major ways of preventing HIV (using condoms and having a single sexual partner); (2) rejection of three common misconceptions about HIV transmission; and (3) awareness that one cannot tell by looking at a person whether he/she has HIV. [4]Includes sex with opposite-sex romantic partner, same-sex partner, married woman (for young men not including wife), sex worker (for young men), casual partner, and forced and exchange sex relations, as well as responses in linked anonymous reporting (through sealed envelope). [5]Includes genital ulcers, genital itching, swelling in the groin, discharge, burning during urination, etc. [6]Among those aged 20 or above.
N.A.: Not applicable.

Key indicators by sex and marital status of respondents, 2007: Bihar

Key indicators	MM (15–29)	MW (15–24)	UM (15–24)	UW (15–24)	MM (15–29)	MW (15–24)	UM (15–24)	UW (15–24)	MM (15–29)	MW (15–24)	UM (15–24)	UW (15–24)
	Combined				Urban				Rural			
Number of respondents	**1,115**	**2,341**	**1,492**	**3,188**	**547**	**1,136**	**833**	**1,445**	**568**	**1,205**	**659**	**1,743**
Socio-demographic profile												
1. Completed 7 years of schooling (%)	28.8	20.5	28.7	33.5	19.5	24.0	17.3	19.9	29.6	20.3	30.9	35.9
2. Not in school at age 12 (%)	39.0	70.3	18.0	35.0	28.3	44.1	13.9	15.8	40.0	72.0	18.8	38.5
3. Engaged in paid and/or unpaid work in last 12 months (%)	96.8	38.0	64.3	36.0	94.6	12.6	53.7	17.0	97.0	39.7	66.4	39.5
4. Engaged in paid work in last 12 months (%)	89.7	29.8	48.0	23.0	89.1	9.2	46.7	11.3	89.6	31.2	48.2	25.2
5. Unemployment rate (as % of labour force)	9.8	34.5	28.8	37.6	7.1	68.2	24.6	51.2	10.0	33.2	29.6	35.3
6. Mother discussed reproductive processes with respondent (%)	0.3	3.7	0.1	1.6	0.0	4.6	0.4	3.4	0.2	3.7	0.0	1.2
7. Father discussed reproductive processes with respondent (%)	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
8. Talked to mother about friends (%)	53.5	63.7	57.2	74.6	53.1	73.6	61.9	84.5	53.6	63.0	56.3	72.8
9. Talked to father about friends (%)	55.9	18.9	56.1	29.9	52.1	30.3	60.1	46.9	56.3	18.1	55.3	26.9
Young people's control over their own lives												
10. Had a bank account (%)	30.3	45.2	16.4	41.8	32.6	55.9	22.5	56.7	30.1	44.5	15.2	39.1
11. Took independent decisions about buying clothes (%)	81.1	29.0	44.5	29.9	83.7	40.1	61.1	50.4	80.8	28.3	41.3	26.1
12. Allowed to visit friends within village/neighbourhood unescorted (%)	N.A.	52.5	94.6	64.4	N.A.	52.8	95.9	74.1	N.A.	52.5	94.2	62.6
13. Allowed to visit health facility unescorted (%)	N.A.	11.2	70.3	5.9	N.A.	14.7	74.2	13.0	N.A.	11.0	69.6	4.6
Sexual and reproductive health knowledge												
14. Correct knowledge of legal minimum age at marriage for females (%)	68.3	52.5	73.5	67.5	77.2	73.2	77.9	82.8	67.4	51.1	72.7	64.7
15. Aware that a woman can get pregnant at first sexual intercourse (%)	40.0	37.0	24.2	25.6	46.7	45.8	30.7	35.4	39.4	36.4	23.0	23.8
16. Aware of:												
a. Condom (%)	92.5	67.2	88.5	50.5	97.8	85.9	96.7	80.2	92.0	66.0	86.9	45.1
b. Oral contraceptive pills (%)	86.5	86.8	75.4	78.1	94.6	94.4	87.3	91.9	85.7	86.3	73.0	75.5
c. IUD (%)	38.4	48.9	32.3	36.3	55.4	74.1	45.7	55.5	36.9	47.2	29.7	32.8
d. Withdrawal (%)	6.4	42.2	2.9	2.4	10.9	51.4	4.1	3.4	6.1	41.7	2.7	2.3
17. Correct specific knowledge[1] of:												
a. Condom (%)	73.5	36.4	58.7	16.7	86.0	58.7	68.0	30.0	72.3	34.9	56.9	14.3
b. Oral contraceptive pills (%)	41.2	53.4	23.1	37.3	46.7	67.6	29.5	50.7	40.7	52.5	21.8	34.9
c. IUD (%)	17.0	27.3	8.4	12.9	30.4	47.2	13.9	24.9	15.7	26.0	7.4	10.7
d. Withdrawal (%)	5.3	33.8	1.7	1.3	8.7	44.4	2.9	2.0	5.0	33.2	1.4	1.3
18. Reported that condoms do not reduce sexual pleasure (%)	28.5	22.7	15.9	12.7	35.2	33.6	21.1	14.9	27.9	21.7	14.8	11.9
19. Comprehensive knowledge of the conditions under which abortion is legal[2] (%)	6.5	2.6	5.9	3.0	6.5	3.5	7.3	3.8	6.5	2.5	5.6	2.8
20. Heard about:												
a. HIV/AIDS (%)	86.5	42.6	87.7	52.8	95.7	71.1	95.9	85.3	85.7	40.8	86.0	46.8
b. STI/RTI (%)	18.9	15.8	10.6	3.7	23.9	14.1	12.7	6.9	18.5	15.9	10.1	3.1
21. Comprehensive knowledge of HIV[3] (%)	27.0	13.2	27.6	18.0	40.2	32.4	42.0	40.1	25.8	12.0	24.8	13.9
Pre-marital romantic and sexual relationships												
22. Ever had an opposite-sex romantic partner (%)	16.8	3.6	16.0	7.1	19.6	9.2	20.5	9.5	16.5	3.3	15.1	6.7
23. First spent time alone with an opposite-sex romantic partner before age 15 (%)	41.2	63.5	47.1	53.3	27.8	53.8	40.0	39.1	42.0	(65.3)	48.9	57.2

Key indicators	Combined MM (15–29)	Combined MW (15–24)	Combined UM (15–24)	Combined UW (15–24)	Urban MM (15–29)	Urban MW (15–24)	Urban UM (15–24)	Urban UW (15–24)	Rural MM (15–29)	Rural MW (15–24)	Rural UM (15–24)	Rural UW (15–24)
24. Ever had pre-marital sexual relations with an opposite-sex romantic partner (%)	8.1	1.2	6.2	1.8	4.3	2.1	3.7	0.8	8.4	1.1	6.7	2.0
25. Ever had pre-marital sex[4] (%)	18.0	2.4	10.7	3.0	16.3	2.8	8.2	1.6	18.2	2.4	11.3	3.3
Self-reported health problems												
26. Anxiety about *swapnadosh*/nocturnal emission (men) in last 12 months (%)	10.9	N.A.	20.8	N.A.	8.7	N.A.	19.7	N.A.	11.1	N.A	21.1	N.A.
27. Menstrual problems (women) in last 3 months (%)	N.A.	12.3	N.A.	9.3	N.A.	7.7	N.A.	9.9	N.A.	12.6	N.A.	9.2
28. Symptoms of genital infection in last 3 months[5] (%)	10.6	25.8	7.0	13.9	9.8	23.1	8.2	11.3	10.8	26.0	6.8	14.3
Youth life-style												
29. Consumed alcohol at least once in last month (%)	12.3	0.1	2.7	0.1	12.0	0.0	2.5	0.0	12.3	0.1	2.7	0.1
30. Consumed drugs at least once in last month (%)	1.4	0.0	0.7	0.0	1.1	0.0	0.8	0.0	1.5	0.0	0.7	0.0
31. Consumed tobacco products at least once in last month (%)	62.2	1.5	24.5	0.6	67.4	1.4	25.7	0.2	61.8	1.5	24.3	0.7
32. Involved in physical fights in last 12 months (%)	10.5	4.4	15.3	3.7	12.0	2.8	15.1	2.0	10.3	4.5	15.3	4.0
33. Watched television often (%)	5.7	5.6	11.6	13.4	25.3	34.5	34.3	48.6	3.9	3.7	7.2	6.9
Programme participation and voting experience												
34. Participated in youth-related programmes implemented in the community in last 3 years (%)	6.8	1.6	6.9	2.4	4.3	0.7	6.1	2.8	6.9	1.7	7.1	2.3
35. Voted in last election[6] (%)	79.4	52.8	61.6	34.1	76.4	35.0	60.7	40.2	79.8	54.3	61.9	30.1

Married life	Combined MM (15–29)	Combined MW (15–24)	Urban MM (15–29)	Urban MW (15–24)	Rural MM (15–29)	Rural MW (15–24)
36. Reported a love marriage (%)	1.0	1.1	3.3	3.5	0.8	0.9
37. Usually discussed money matters with spouse (%)	86.3	88.2	87.5	92.0	86.3	88.0
38. Reported any physical violence perpetrated on wife by husband (%)	29.7	29.7	25.0	23.9	30.1	30.1
39. Husband ever forced wife to have sex (%)	24.8	53.7	21.3	50.0	25.1	54.0
40. Ever had extra-marital sex (%)	3.7	0.4	3.4	0.0	3.9	0.4
41. Ever used contraception within marriage (%)	23.1	20.0	33.0	31.2	22.3	19.3
42. Currently using contraception (%)	12.2	11.8	20.5	21.0	11.4	11.1
43. Ever used a contraceptive method to delay first pregnancy (%)	8.2	4.3	14.8	6.5	7.6	4.2
44. Children ever born (mean)	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4
45. Ideal number of children[7] (mean)	2.7	2.7	2.4	2.4	2.8	2.7
46. First delivery in health institution[8]	23.0	24.9	40.0	50.5	21.5	23.2
47. First birth attended by a health professional[9] (%)	42.0	34.9	66.7	63.3	39.8	33.0

Note: MM: Married men, MW: Married women, UM: Unmarried men, UW: Unmarried women. [1]Among all youth. [2]Includes being aware that: (1) termination of pregnancy is legal for married women; (2) termination of pregnancy is legal for unmarried women; (3) aborting a foetus after 20 weeks of pregnancy is illegal, and (4) sex-selective abortion is illegal. [3]Includes: (1) identification of two major ways of preventing HIV (using condoms and having a single sexual partner); (2) rejection of three common misconceptions about HIV transmission; and (3) awareness that one cannot tell by looking at a person whether he/she has HIV. [4]Includes sex with opposite-sex romantic partner, same-sex partner, married woman (for young men not including wife), sex worker (for young men), casual partner, and forced and exchange sex relations, as well as responses in linked anonymous reporting (through sealed envelope). [5]Includes genital ulcers, genital itching, swelling in the groin, discharge, burning during urination, etc. [6]Among those aged 20 or above. [7]Includes only numeric responses. [8]Includes those whose first pregnancy outcome was a live or still birth. [9]Includes institutional delivery or home delivery attended by a doctor/ANM/nurse/LHV, midwife (trained) or other health professional, among those whose first pregnancy outcome was a live or still birth. N.A.: Not applicable. ( ) Based on 25–49 unweighted cases.

Notes

Supported by:

the David & Lucile Packard FOUNDATION

MACARTHUR
The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation